

## **WORKING ARRANGEMENT**

**BETWEEN**

**THE EUROPEAN UNION AVIATION SAFETY AGENCY  
(EASA)**

**AND**

**THE DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION OF INDIA  
(DGCA)**

The European Union Aviation Safety Agency (EASA) and the Directorate General of Civil Aviation of India (DGCA), hereinafter referred to as "the Parties",

Considering the common interest of the Parties to preserve aviation safety and environmental compatibility,

Recognising their mutual interest in and the benefit of strengthening their partnership and cooperation in enhancing aviation safety,

Willing to reduce the economic burden imposed on the aviation industry by redundant technical inspections, evaluations and testing,

Being entitled by their respective constituting acts to conclude Working Arrangements<sup>1</sup> in their field of competence,

Have agreed the present Working Arrangement:

## **1 PURPOSE AND SCOPE**

1.1 This Working Arrangement establishes a framework of cooperation between the Parties with a view to achieving common safety and environmental protection standards, promoting understanding of each other's regulatory systems for aviation safety and environmental protection and facilitating exchange of aeronautical products, services and personnel.

1.2 Through this Working Arrangement, the Parties intend to develop closer collaboration in the following domains:

- a) Rulemaking cooperation, including through sharing of information and best practices, in order to support the implementation of harmonised aviation safety and environmental protection requirements. Such cooperation may be developed in any domain under the regulatory competences of the Parties;
- b) Facilitate issuance or acceptance of certificates for products<sup>2</sup>, parts and appliances for which the Parties respectively carry out the functions and tasks of the State of Design<sup>3</sup> and mutual technical assistance with certification activities;
- c) Sharing of safety information, including co-operation on continued airworthiness of in-service products, parts and appliances accepted or approved in application of this Working Arrangement;
- d) Technical training and professional staff development.

---

<sup>1</sup> For EASA, Article 90(2) of Regulation (EU) No 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency. OJ L 212, 22.08.2018, p. 1.

<sup>2</sup> Term "product" means an aircraft, an engine or a propeller.

<sup>3</sup> EASA carries out the tasks and functions of the State of Design on behalf of EU Member States and the states participating in the work of EASA under Article 129 of Regulation (EU) 2018/1139. At the time of the signature of this Working Arrangement, the states participating in the work of EASA under Article 129 of Regulation (EU) 2018/1139 are Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein.

1.3 The Parties agree that, subject to their mutual interest, their cooperation under this Working Arrangement may be further developed to address other areas, in which case this Working Arrangement shall be amended accordingly.

## **2 RULEMAKING COOPERATION AND TECHNICAL ASSISTANCE**

2.1 The Parties intend to cooperate, including in the context of regional initiatives, with a view to harmonising regulatory requirements across all domains of aviation safety and environmental protection taking into account their respective regulatory priorities. The Parties will share, upon request, information on their respective rulemaking activities and inform each other, as soon as practicable, of significant revisions to their relevant regulatory standards.

2.2 Where feasible, EASA will consider the participation of DGCA experts in EASA events, workshops and seminars related to the promotion, implementation and interpretation of the relevant EU legislation.

2.3 Upon request of DGCA, and subject to the availability of resources, EASA may assist DGCA, as appropriate, in the development and implementation of the necessary measures to correct the findings identified in the course of the Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) of the International Civil Aviation Organization (ICAO) in India, as well as with the establishment of India's State Safety Programme (SSP) in accordance with ICAO standards and recommended practices.

2.4 To the maximum extent feasible, the Parties will consider the sharing of safety information and safety enhancement initiatives, as well as exchanging information on the safety issues and mitigating measures identified in India's SSP and the European Plan for Aviation Safety.

2.5 Upon request of DGCA, and subject to the availability of resources, EASA will support DGCA in providing training for DGCA inspectors which is compliant and compatible with the relevant EU standards and procedures.

## **3 AIRWORTHINESS AND ENVIRONMENTAL CERTIFICATION**

3.1 The Parties agree that this Working Arrangement will be implemented in accordance with implementation procedures, which will be annexed to this Working Arrangement. Such implementation procedures may be product specific and will signify that, for the relevant product, and related parts and appliances, EASA has established sufficient confidence in DGCA design oversight system as provided for in Article 8(2) of Regulation (EU) 748/2012<sup>4</sup>.

3.2 The Parties further agree that the following process will be applicable as regards the certificates and any documents issued or approved in accordance with Regulation (EU) No 2018/1139<sup>5</sup> and the implementing and delegated acts adopted on the basis thereof:

- a) EASA Type Certificate (TC) or a Restricted Type Certificate (RTC) will be accepted by DGCA through the issuance of a Letter of Type Acceptance (LoTA) as per CAR Section 6, Series A, Part II. Upon DGCA's request, and so as to facilitate such acceptance, EASA and DGCA may share

---

<sup>4</sup> Commission Regulation (EU) No 748/2012 of 3 August 2012 laying down implementing rules for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well as for the certification of design and production organisation (EASA Part 21), as last amended.

<sup>5</sup> The Parties note that, following the entry into force of Regulation (EU) 2018/1139 repealing Regulation (EC) No 216/2008, the certificates and documentation issued or approved in accordance with Regulation (EC) No 216/2008 and its implementing rules continue to be valid and are deemed to have been issued pursuant to the corresponding provisions of Regulation (EU) 2018/1139.

information as appropriate, in particular where DGCA identifies that differences may exist between its airworthiness requirements and those of the EU.

- b) An EASA approval of a Major Change or an EASA Supplemental Type Certificate (STC) resulting in the revision of TCDS will be accepted by DGCA as per CAR Section 6, Series A, Part II, and DGCA may adjust its review as appropriate to the magnitude and complexity of the design change. Upon DGCA's request, EASA and DGCA may share information to facilitate such acceptance as appropriate, in particular where DGCA identifies that differences may exist between its airworthiness requirements and those of the EU.
- c) An EASA approval of all other major changes or major repairs will be considered by DGCA as approved data and accepted by DGCA without further showing of compliance or notification by the design approval holder - and it will be processed in accordance with DGCA procedures.
- d) An EASA approval of minor changes, minor repairs and European Technical Standard Order Authorisations (ETSOAs) will be accepted by DGCA without need for further showing of compliance or notification by the design approval holder.

3.3 Without prejudice to paragraph 9.1, this Working Arrangement does not foresee sharing by the Parties of third parties' documents protected by Intellectual Property Rights (IPR) without prior written consent of the IPR owners.

#### **4 COOPERATION ON CONTINUED AIRWORTHINESS MATTERS**

4.1 The Parties will co-operate in analysing airworthiness aspects arising from accidents and incidents or any other investigations involving a product, part or appliance approved or accepted under this Working Arrangement.

4.2 The Parties will establish structured processes, including specific focal points and scheduled reviews, for regular feedback and communication on continued airworthiness issues on products, parts or appliances approved or accepted under this Working Arrangement. The extent of these processes shall be commensurate with the continued airworthiness activities associated with those products, parts or appliances.

4.3 Either Party will report to the other Party on specific occurrences involving a product, part or appliance approved or accepted under this Working Arrangement, as soon as practicable, and will assist the other Party, if necessary, in analysing their effect on the safety of the products, parts or appliances in service.

4.4 Either Party will promptly inform the other Party of all mandatory airworthiness modifications, special inspections, special operating limitations or other mandatory actions in relation to the products, parts and appliances accepted or approved under this Working Arrangement, which it considers necessary to ensure the continuing airworthiness of the affected products, parts or appliances in service.

4.5 Where appropriate, the Parties will consult on the mandatory continued airworthiness information issued by either Party in carrying out the functions and tasks of the State of Design. Such mandatory continuing airworthiness information will normally be adopted by the other Party. The Parties will discuss continued airworthiness matters before the issuance of any unilateral mandatory continuing airworthiness information by the Party which is not carrying out the functions and tasks of the State of Design for the affected product, part or appliance in service. This does not affect the right of each Party to address unsafe conditions affecting the continued safety of aeronautical



products operating under its jurisdiction in accordance with its responsibilities under international, EU and/or national law.

4.6 Further project specific cooperation provisions for the implementation of this Article may be established in the Annexes to this Working Arrangement.

4.7 The cooperation between the Parties under this Article will be without prejudice to the reporting obligations of Design Approval Holders under Regulation (EU) No 748/2012.

## **5 COOPERATION ON PRODUCTION MATTERS**

5.1 The Parties agree that each new aircraft will be delivered to India with an individual 'EASA Form 52' issued by a holder of a Production Organisation Approval (POA) in accordance with Commission Regulation (EU) No 748/2012. The certificate will state that the aircraft is in compliance with the DGCA accepted Type Certificate and it will be accepted by DGCA.

5.2 DGCA will accept a Flight Manual (FM) in the English language, which will be provided with each aircraft to be delivered to India. In the case of engines and/or propellers, an Installation Drawing and Manual, an Operating Instruction Manual as well as a Maintenance and Overhaul Manual in the English language will be accepted by DGCA for each engine and/or propeller to be delivered to India.

5.3 Each new engine and/or propeller, as well as each new part and appliance, will be delivered to India with an individual 'EASA Form 1', issued by a POA holder in accordance with Commission Regulation (EU) No 748/2012. DGCA will accept EASA Form 1.

5.4 Where a production approval is granted by one Party for the manufacture of an aircraft, engine or propeller based on design approval issued by the other Party in carrying out the functions and duties of the State of Design, both Parties shall ensure, as required by Annex 8 to the Chicago Convention, that there is an agreement or arrangement acceptable to them between the manufacturing organisation and organisation responsible for the type design which guarantees that:

- a) the manufacturing organisation has the right of access to the approved design data relevant for production purposes;
- b) the manufacturing organisation cooperates with the organisation responsible for the type design in assessing information on the design, manufacture and operation of the aircraft, engine or propeller concerned.

5.5 Where a production approval is granted by one Party for the manufacture of an aircraft, engine or propeller based on design approval issued by the other Party in carrying out the functions and duties of the State of Design, both Parties shall also cooperate, as required by Annex 8 to the Chicago Convention, with regard to design, manufacture and continuing airworthiness of the aircraft, engine or propeller during the period of the agreement or arrangement referred to in paragraph 5.4. The Party which issued the production approval shall review that approval when the Party responsible for the type design has informed it that it has limited, suspended or revoked, in whole or in part, the design approval of the affected product.

## **6 TECHNICAL TRAINING**

Upon request and based on the availability of resources, the Parties will cooperate in the provision of technical training, including through joint development, organisation and conduct of training

programmes, related to their respective regulatory oversight activities in the fields covered by the present Working Arrangement.

## **7 COMMUNICATION**

7.1 The Parties will assign focal points to facilitate the implementation of this Working Arrangement. Unless otherwise agreed, all communication between the Parties will be channelled through the designated focal points.

7.2 The Parties will meet annually, unless otherwise agreed, so as to ensure consistent application of this Working Arrangement and its Annexes. Such meetings may be held on the occasion of other events organised by either Party in order to optimise the use of resources.

7.3 All communication undertaken in execution of the Working Arrangement will be conducted in the English language.

## **8 COSTS**

8.1 As appropriate, rulemaking cooperation and technical assistance activities referred to in Article 2 of this Working Arrangement may be funded through the relevant EU technical assistance programmes, in accordance with their terms and conditions.

8.2 Without prejudice to paragraph 8.1, the Parties agree to bear their respective costs incurred from the application of this Working Arrangement.

8.3 The technical training services provided by EASA will be charged in accordance with the applicable provisions of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2153 of 16 December 2019 on the fees and charges levied by the European Union Aviation Safety Agency, or its successor regulation.

## **9 FINAL PROVISIONS**

9.1 This Working Arrangement is without prejudice to the responsibilities that EASA and DGCA respectively have under international, EU and/or national law.

9.2 This Working Arrangement shall not create legal obligations incumbent on the EU and its Member States or India.

## **10 ENTRY INTO FORCE, INTERPRETATION, AMENDMENT, DURATION AND TERMINATION**

10.1 This Working Arrangement shall enter into force at the date of signature by the Parties' duly authorised representatives. When the signature process is performed by exchange of letters, the Working Arrangement shall enter into force at the date of the last signature of the Parties' duly authorised representatives.

10.2 Any disagreement regarding the interpretation or application of this Working Arrangement will be resolved by consultation between the Parties.

10.3 In the event of any discrepancy between the English version and the Hindi version, the English language version shall prevail in determining the intent and meaning of this Working Arrangement.

10.4 This Working Arrangement may be amended by mutual consent. Such amendments shall be in writing and shall enter into force at the date of the last signature of the Parties' duly authorised representatives or their designees.

10.5 This Working Arrangement will remain in force until terminated by either Party upon prior notice.

10.6 Either Party may at any time give written notice to the other Party of its decision to terminate this Working Arrangement. This Working Arrangement shall terminate three months following the receipt of the notice by the other Party, unless the said notice has been withdrawn by mutual agreement before the expiry of the three months period.

10.7 The Parties agree to the provisions of this Working Arrangement as indicated by their duly authorised representatives.

Signed in two originals in the English and Hindi languages.

For the European Union Aviation Safety Agency  
(EASA)

For the Directorate General of Civil Aviation of India  
(DGCA)



Mr Patrick KY  
Executive Director

14/08/2021

Cologne, Germany



Mr Arun KUMAR  
Director General

07/07/2021

New Delhi, India

## **ANNEX 1**

### **IMPLEMENTATION PROCEDURE FOR AIRWORTHINESS AND ENVIRONMENTAL CERTIFICATION**

#### **GENERAL PROVISIONS**

1. This Implementation Procedure establishes interface requirements between the Parties for design approval and continued support of certain products, and related parts and appliances, for which DGCA carries out, on behalf of India, the functions and tasks of the State of Design.
2. The purpose of this Implementation Procedure is to give credit, where appropriate, to technical evaluations, tests results, conformity statements, approvals and airworthiness and environmental certification activities performed by or under the oversight of DGCA for products and TC holders identified in Appendix A of this Annex, to allow EASA to issue its own design approvals.
3. For the products identified in Appendix A, EASA conducted an initial assessment of DGCA regulatory oversight system and has determined, in accordance with Article 8.2 of Regulation (EU) No 748/2012, that India's system for design organisation oversight includes the same independent level of checking of compliance as provided by that regulation. For any new application received pursuant to this Implementation Procedure, EASA may request that a similar assessment is carried out prior to accepting such application.
4. In order to maintain the initial level of confidence, recurrent assessments of DGCA design organisation oversight system will be conducted by EASA. Such recurrent assessments may include desktop and/or on-site visits and, unless otherwise agreed between the Parties, will be conducted once every three years.
5. The Parties agree that, when applying this Implementation Procedure, EASA may adjust the level of its technical involvement in conducting the technical review and compliance determination activities leading to the approval of a product. This is usually predicated on the sensitivity placed by EASA on the demonstration of compliance with its requirements. The level of EASA's technical involvement will be determined in accordance with EASA internal procedures and processes.
6. The Appendix of this Annex may be amended by a mutual agreement of the Parties through an exchange of letters.

#### **SECTION A- TYPE CERTIFICATION**

##### **1. Introduction**

The purpose of this Section is to lay down the procedure for the approval by EASA of products for which DGCA, as the authority of the State of Design, issued - or has accepted an application for - a Type Certificate.

##### **2. Application for EASA Type Certification**



2.1 An application for EASA Type Certificate shall be made in accordance with Annex I (Part 21) to Regulation (EU) No 748/2018, Section A, Subpart B, and EASA Certification/Validation Procedures. Applications may be submitted for products with DGCA Type Certificate, or with application for type certification accepted by DGCA.

2.2 DGCA shall ensure that the application to EASA is made in the correct format submitted by the applicant through the On-Line Applicant Portal and that it contains the following information:

- a) The data required in accordance with 21.A.15 of Annex I to Regulation (EU) 748/2012 (Part 21).
- b) The DGCA Type Certificate and TC Data Sheet (TCDS), if available, and a definition of the national airworthiness and environmental protection standards upon which the DGCA design approval was (or will be) based, and the EASA equivalent standards believed to be satisfied by DGCA standards, or
- c) When a Type Certificate has not yet been issued by DGCA, copy of the original application for type certification as accepted by DGCA,
- d) A planning date for EASA type certification,
- e) The type-certificate applicant's proposed certification basis, which includes the amendment level of the applicable airworthiness and environmental protection requirements of EASA,
- f) Any other technical data requested by EASA in order to proceed with the application, and
- g) Available information on European Union customers and delivery schedules.

In addition, the application shall contain the following information if known at the time of the application:

- h) A description of all novel or unusual design features or unconventional use of the product known to the type-certificate applicant and DGCA at the time of application which are (or will be) subject to DGCA Special Conditions and that might necessitate concurrently issuance of EASA special conditions under 21.B.75 of Annex I (Part 21) to Regulation (EU) No 748/2012, or which might require a special review of acceptable means of compliance; and
- i) All known or expected exemptions, deviations or equivalent level of safety findings relative to the DGCA's standards for design approval that might affect compliance with the applicable EASA airworthiness or environmental protection requirements.

### **3. EASA and DGCA Communication Procedures**

3.1 On receipt of an application for EASA type certification, EASA shall nominate a Project Certification Manager (PCM) and a dedicated certification team of EASA experts for the project and advise both the type-certificate applicant and DGCA accordingly. DGCA and the type-certificate applicant will provide similar information to the EASA PCM about their Teams for the project.

3.2 All correspondence, in the English language, between DGCA and EASA will be between the DGCA Type Certification Coordinator and the EASA PCM assigned to the project.

3.3 Direct discussion including the exchange of technical information as required may be conducted between the relevant EASA and DGCA technical specialists authorised by the Project

Manager in each case. The EASA PCM and DGCA Type Certification Coordinator shall be kept anyway in copy of all exchanges.

3.4 All communication and exchanges between the EASA certification team and the type-certificate applicant will follow the same scheme as in paragraph 3.2 above and ensure the involvement of DGCA.

3.5 EASA will notify DGCA of any meeting(s) that EASA may arrange in direct contact with the type-certificate applicant and/or its suppliers on certification matters. EASA shall inform of those meetings requesting DGCA attendance and provide adequate notice to allow DGCA to attend. DGCA will notify EASA if it wishes to attend any other meeting.

#### **4. EASA Responsibilities**

4.1 Upon the acceptance of application by EASA, EASA PCM will prepare and issue a Project Information Document (PID). This document will be discussed with the type-certificate applicant so that it provides agreed project working procedures, in line and complementary as appropriate with these Implementation Procedures, for the efficient conduct of the EASA type certification process. The PID will include at least a table defining Terms of Reference for responsibility allocation and work sharing between the experts of the EASA certification team, the intention being to clarify which EASA expert will deal primarily with which technical discipline and with which relevant compliance findings.

4.2 EASA will begin the certification activities by carrying out General Familiarisation meeting(s) and Technical Familiarisation meeting(s) with DGCA and the type-certificate applicant:

- a) The General Familiarisation will consist of meeting(s) at management level involving the EASA PCM and other EASA representatives, as appropriate. This will enable EASA initial familiarisation with the product and its certification characteristics, and will allow the definition of an appropriate EASA team of experts. The type-certificate applicant is expected to present an overview briefing of the project with the foreseen certification schedule and familiarise with the overall design and DGCA type certification basis, as currently known. The list of Issue Papers already issued by DGCA must be given to EASA. The aim of this initial interaction is also to ensure efficient preparation of the forthcoming meeting(s) for Technical Familiarisation of the EASA certification team experts.
- b) The Technical Familiarisation will primarily consist of a visit of the EASA certification team to the type-certificate applicant's facilities in order to allow the EASA experts to have direct access to the product to be certified and face-to-face interaction meeting(s) with their counterpart specialists of the type-certificate applicant. It is desirable that DGCA experts attend the meeting(s) as well.

The objectives of Technical Familiarisation are:

- i. To provide a complete description of the type design definition of the product and of the parts and appliances related to that product; this must depict in particular any novel design features, novel applications of existing technology, or unconventional uses of the product and any design features where experience has shown an unsafe condition might occur;
- ii. To present detailed information on DGCA type certification basis, addressing all known or expected Special Conditions, exemptions, deviations or equivalent level of safety findings, and emphasizing DGCA's published Issue Papers;

- iii. To provide for an opportunity for EASA to fully understand the Means of Compliance used or to be used. The relevant information should be sufficiently detailed to allow EASA to perceive the general principles of the methodologies applied or to be applied as Means of Compliance, including assumptions, boundary conditions and critical parameters of these methodologies that are essential to the technical adequacy of compliance findings demonstration; thus it may require the review of Certification Programme(s) and Test Plan(s) and System Assessment Analysis document(s).

EASA Team may raise questions to gain clarification and have in-depth dialogue as needed to properly understand the materials presented. This will serve the purpose of providing EASA the necessary knowledge to appropriately deal with the next steps of the certification exercise.

- c) Once the familiarisation of the EASA certification team is completed, the EASA type-certification basis will be notified to DGCA and the type-certificate applicant. Such EASA type-certification basis will be established in accordance with the relevant provisions of Regulation (EU) No 748/2012 and the applicable EASA policy.<sup>6</sup>

Note: An EASA TC includes certain data, called 'Operational Suitability Data (OSD)', that the Type Certificate Holders are required to produce. By derogation, an EASA TC may be issued with a delayed OSD approval. However, in this case, the TC approval would not allow the product to be commercially operated by an EU operator. In this case the OSD data would be approved by EASA independently of the type certificate issuance before entry into service with an EU Operator; this may require the re-opening of the EASA Type Certification Basis documentation (e.g. CRI A-01) to record any OSD certification basis changes. The TCDS will then be updated to record OSD references. OSD approvals require a separate application to EASA.

- d) EASA will provide appropriate interpretative material to enable the type-certificate applicant and DGCA to determine compliance with EASA airworthiness standards, environmental protection requirements and OSD certification basis – and to declare this compliance to EASA.

#### 4.3 For major certification subjects, EASA will raise Certification Review Items (CRIs):

- a) To define and record the content of the EASA certification basis, environmental protection requirements and OSD certification basis, identifying the nature of each requirement;
- b) To develop and administer EASA Special Conditions for novel or unusual design features or unconventional use of the product;
- c) To administer findings of equivalent level of safety or deviations;
- d) To define and record the application of specific EASA standards or policies or adequate guidance material, if different from DGCA ones, e.g. means of compliance, interpretations;
- e) To list specific design changes required for compliance with EASA certification basis.

#### 4.4 For the purpose of administering the findings of compliance with EASA airworthiness standards or environmental protection requirements, EASA will issue Certification Action Items (CAIs):

- a) To define and administer certification actions for the review of the suitability of the proposed demonstrations of compliance;
- b) To identify certification subjects and topics, and justify extent, of direct involvement of EASA in the compliance finding process;
- c) To record controversial subjects.

---

<sup>6</sup> The Parties agree that the application of this paragraph will be without prejudice to the terms and conditions of the certification activities commenced prior to the signature of this Working Arrangement.



4.5 Simple certification actions that do not deserve issuance of CAIs will be notified to and recorded by the type-certificate applicant as part of agreed Minutes of Meetings or through correspondence exchanges.

4.6 For the certification fields which EASA indicates as attention areas, EASA will maintain a high level of consideration and thus exercise a commensurate scrutiny in reviewing and accepting the proposed compliance findings.

4.7 For the other certification fields, after it became familiar with the design of the product, DGCA type-certification basis and the overall Means of Compliance applied (or to be used) by DGCA, the EASA certification team may, in accordance with Regulation (EU) No 748/2012, confine its investigation to a sampling of the proposed compliance findings. In that respect, EASA will identify, and notify in writing the type-certificate applicant (with copy to DGCA), as early as possible the subjects for which it elects to be directly involved in the sampling of the demonstration of compliance findings. The scope and depth of those investigations will be defined by the relevant EASA experts of the certification team under the supervision of the EASA PCM in accordance with Regulation (EU) No 748/2012 and EASA certification procedures, taking account of the principles defined in the Working Arrangement.

4.8 EASA will inform DGCA in writing of its conclusions concerning its investigation.

4.9 EASA will provide a Summary List and a copy of all raised CRIs and CAIs, and revisions thereof, to DGCA, including copies of its correspondence with the type-certificate applicant relating to CRIs and CAIs.

4.10 EASA will notify the type-certificate applicant (with copy to DGCA) of the status of each CRI or CAI and will request DGCA and type-certificate applicant for a formal position statement.

4.11 When satisfied with the compliance findings, EASA will send a statement of acceptance to both the type-certificate applicant and DGCA for the subjects for which it has determined compliance.

## **5. DGCA Responsibilities**

5.1 DGCA will ensure that the EASA certification team is properly briefed by the type-certificate applicant on the design of the product, DGCA type-certification basis and the overall Means of Compliance applied (or to be used) by DGCA.

5.2 DGCA will provide assistance to the EASA certification team experts and PCM, as necessary.

5.3 DGCA will find compliance with EASA type-certification basis and environmental protection requirements using EASA acceptable means of compliance and guidance material (see Article 4 above).

5.4 DGCA will initiate comments on CRIs and CAIs for which EASA has requested DGCA position statements, or as considered appropriate by DGCA.

5.5 DGCA will provide EASA with a formal statement attesting that it has determined that compliance has been demonstrated with the EASA type-certification basis and environmental protection requirements. As regards compliance with OSD certification basis, no action by DGCA will be required.



5.6 For certification processes progressed in parallel by both DGCA and EASA, DGCA will keep EASA informed on a regular basis (monthly or as otherwise agreed) on the status of the certification program, including progress, schedules, problems and significant certification issues.

## **6. Test Witnessing**

6.1 EASA will notify DGCA and the type-certificate applicant concerning requests for conducting or witnessing tests by DGCA on its behalf and will identify the test programmes to be used. DGCA will verify the reported certification test results and will forward them to EASA. EASA will review these test results and notify DGCA (with copy to type-certificate applicant) of its conclusions.

6.2 Subject to relevant EU regulations, EASA may request DGCA to review or approve the test programme and/or the test results report on its behalf.

6.3 Where EASA needs direct involvement in the witnessing of specific tests, this will be specified as per relevant CAI or CRI.

## **7. Documentation**

### 7.1 Documents required for EASA Type Certification

7.1.1 The list of documents to be provided by the type-certificate applicant to EASA before type certification will be defined within a specific CRI and include at least the following:

- a) Declaration of Compliance in accordance with Part 21.A.20;
- b) List of certification and compliance documents with identification of those retained by EASA for review;
- c) Compliance Record Sheet/ Compliance Record Book (i.e. compliance checklist to EASA type-certification basis requirements);
- d) Aircraft Flight Manual with Supplements or Appendices;
- e) Instructions for Continued Airworthiness and its Airworthiness Limitation Section.

7.1.2 Any certification or compliance documents that EASA will formally retain for review and acceptance will be specified as per relevant simple certification action or CAI or CRI.

### 7.2 Aircraft Flight Manual (AFM) Approval Procedure

7.2.1 The AFM will be processed under the applicable EASA certification procedures. EASA will review the relevant DGCA approved AFM (or draft AFM if not approved yet), including any Supplements or Appendices. EASA will provide comments on the content of the AFM to the type-certificate applicant and to DGCA.

7.2.2 A complete EASA AFM (including DGCA AFM amended with the relevant EASA AFM pages) will then be submitted to EASA for further review and approval. When EASA is satisfied that this AFM meets the specific EASA requirements, it will approve the AFM.

7.2.3 The contents of the EASA AFM will be prepared in a language acceptable to EASA.

### 7.3 Airworthiness Limitation Section Approval Procedure

7.3.1 The EASA approval procedure for the Airworthiness Limitation Section (ALS) of the Instructions for Continued Airworthiness will follow similar principles as defined above for the AFM.

7.3.2 When DGCA approved ALS, and EASA is satisfied that the ALS meets the specific EASA requirements, EASA will approve the ALS.

7.3.3 The contents of the dedicated manual or manuals will be prepared in a language acceptable to EASA.

## **8. Issuance of EASA Type Certificate**

EASA will issue a Type Certificate (TC) when:

- a) The type-certificate applicant has met the applicable requirements, including requirements of Commission Regulation (EU) No 748/2012 and the administrative requirements related to the payment of Fees and Charges to EASA,
- b) DGCA India has issued its own Type Certificate for the product, and
- c) EASA has completed its approval procedures for a TC.

## **SECTION B – CHANGES TO TYPE-CERTIFICATES**

### **1. Introduction**

The purpose of this Section is to lay down the procedure for the approval of changes to Type Certificates, repair designs and approved manuals<sup>7</sup> generated by the Type Certificate Holder.

### **2. Design Changes other than AFM and ALS Revisions**

2.1 Design changes are classified as ‘major change’ or ‘minor change’.

2.2 Minor changes are design changes as defined by Regulation (EU) No 748/2012, Point 21.A.91 and GM 21.A.91.

2.3 Major changes are all other changes not classified as a minor changes.

### **3. AFM and ALS Revisions**

3.1 DGCA will review all proposed revisions to all AFM and ALS pages.

3.2 All AFM and ALS revisions affecting the EASA-approved AFM and ALS will be submitted to EASA for review and approval.

3.3 EASA will approve all AFM and ALS revisions affecting the EASA-approved AFM and ALS in accordance with Regulation (EU) No 748/2012 and the EASA internal working procedures when so required by the applicable requirements.

### **4. EASA Responsibilities**

4.1 In accordance with Point 21.A.101 of Annex I to the Regulation (EU) No 748/2012, EASA may prescribe standards in addition to the type-certification basis if found necessary for approving a

---

<sup>7</sup> AFM and ALS referred to in Section A.

change. In such cases, it will notify in writing to DGCA and the Type Certificate Holder of these additional standards.

4.2 All design changes or repair designs will be submitted to EASA for review and approval in accordance with Article 5 of this Section B. EASA will identify as early as possible the subjects for which it wishes to be involved directly in the demonstration of compliance findings and notify it to DGCA.

4.3 EASA will approve all design changes or repair designs in accordance with Regulation (EU) No 748/2012 and the EASA internal working procedures.

## **5. DGCA Responsibilities**

5.1 DGCA shall ensure that the application to EASA is made in the correct format submitted by the applicant through the On-Line Applicant Portal. An application to EASA shall be made in accordance with Annex I (Part 21) to Regulation (EU) 748/2012, Section A, Subpart D (for design changes) or Subpart M (for repair designs). That application shall be submitted to EASA with a DGCA endorsement confirming that the change or repair has been already certified by DGCA - or that an application for the certification of that change or repair has been made to and accepted by DGCA.

5.2 DGCA will verify and state to EASA that compliance has been demonstrated with the EASA certification basis and environmental protection requirements. As regards compliance with OSD certification basis, no action by DGCA will be required.

5.3 In addition, DGCA shall review the following documents and state compliance with the EASA certification basis and the EASA-approved type design of the product:

- a) Continuing Airworthiness Instructions (Airworthiness Limitation Section – see Article 7.3 of Section A), and
- b) Structural Repair Manual and Major Repairs.

5.4 Classification of repairs as 'minor repair' or 'major repair' is performed in accordance with Annex I (Part 21) to Regulation (EU) No 748/2012, Point 21.A.435 and GM 21.A.435. An applicant's proposed classification of a repair design shall be submitted through DGCA to EASA for concurrence. Upon DGCA approval, the repair design will be submitted to EASA in accordance with this Article for its review and approval by EASA in accordance with Article 4 of this Section B.

## **Section C – CONTINUED AIRWORTHINESS**

### **1. In-service events**

1.1 It is understood that the Type Certificate Holder shall report to EASA and DGCA all failures, malfunctions, defects or other occurrences on their products of which they are aware and that have resulted or may result in an unsafe condition, in accordance with applicable rules.<sup>8</sup>

1.2 It is further understood that the Type Certificate Holder shall investigate reported occurrences and propose corrective actions to DGCA and EASA in accordance with applicable rules.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Regulation (EU) No 748/2012, Annex I (Part 21), Point 21.A.3A and GM 21.A.3B(b). The Internal Occurrence Reporting System (IORS) is the form and manner established by the Agency.

<sup>9</sup> Regulation (EU) No 748/2012, Annex I (Part 21), Point 21.A.3A(c).

## **2. DGCA India Responsibilities**

2.1 DGCA shall ensure that the Type Certificate Holder has in place an appropriate and effective system for recording, reporting, analysis and follow-up of occurrences.

2.2 As a result of reviewing the Type Certificate Holder's reports concerning failures, malfunctions, defects or other occurrences that have resulted or may result in an unsafe condition of a product - and on the base of operating experience analysis under the applicable rules - DGCA shall decide whether a DGCA Airworthiness Directive should be issued.

2.3 DGCA shall timely submit to EASA all Airworthiness Directives concerning the products covered by an EASA Type Certificate.

2.4 At the request of EASA, DGCA shall submit any required additional information and/or clarification. As needed, DGCA and EASA will organise continuing airworthiness information meetings at regular intervals.

## **3. EASA responsibilities**

3.1 EASA shall consult with DGCA on the relevant Airworthiness Directives issued by DGCA and will normally adopt DGCA-issued Airworthiness Directives.

3.2 EASA will consult with DGCA on failures, malfunctions and defects or other occurrences reported by the Type Certificate Holder under paragraph 1.1 of this Section C and decide when an EASA Airworthiness Directive is to be issued.

## **4. EASA, DGCA India and Type Certificate Holder cooperation**

When considered appropriate by EASA, DGCA or the Type Certificate Holder, a meeting shall be organised between EASA, DGCA and the Type Certificate Holder to review and discuss service difficulties, incidents and accidents and agree on appropriate actions.

---



**Appendix A**  
**List of products**  
**(Issue 1)**

<b>TC Holder</b>	<b>Product</b>	<b>DGCA TC Issuance</b>	<b>DGCA TC Approval Date</b>
Hindustan Aeronautics Limited (HAL)	DHRUV (ALH) rotorcraft	No. 5-8/96-RD-TC-1 TCDS No. 5-8/96-RD, issue 5 or later revision	31 <sup>st</sup> October 2003

---

द यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी

(ईएएसए)

तथा

नागर विमानन महानिदेशालय, भारत

(डीजीसीए)

के मध्य

कार्य व्यवस्था

द यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी (ईएएसए) तथा नागर विमानन महानिदेशालय, भारत (डीजीसीए), जिन्हें एतद्वारा "पक्षकारों" के रूप में संदर्भित किया गया है,

विमानन संरक्षा एवं पर्यावरणीय अनुकूलता से सम्बद्ध पक्षकारों के समान हित के संरक्षण के विचार से,

अपने परस्पर हितों को संज्ञान में लेकर एवं विमानन संरक्षा में संवर्धन किए जाने की अपनी भागीदारी एवं सहकार्यता की सुदृढ़ता के हित में,

व्यतिकृत तकनीकी जांचों, मूल्यांकनों एवं परीक्षणों के परिणामस्वरूप विमानन उद्योग पर थोपे गए आर्थिक भार को न्यून करने की मंशा से,

कार्य व्यवस्थाओं<sup>1</sup> को व्यवस्थित करने की प्रक्रियाओं के लिए अपने संबंधित सांविधानिक अधिनियमों के अंतर्गत अधिकार सम्पन्नता के साथ,

प्रस्तुत कार्य व्यवस्था के प्रति सहमत हुए हैं:-

## 1 उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र

1.1 इस कार्य व्यवस्था से पक्षकारों के मध्य समान संरक्षा एवं पर्यावरणीय संरक्षण मानकों की प्राप्ति, विमानन संरक्षा एवं पर्यावरणीय संरक्षण के लिए एक दूसरे की विनियामक व्यवस्थाओं से संबंधित अनुकूलता को प्रोत्साहन एवं वैमानिक उत्पादों, सेवाओं तथा कार्मिक विनिमय की सुविधा के लिए सहकार्यता की रूपरेखा का निर्माण होगा।

1.2 इस कार्य व्यवस्था के माध्यम से पक्षकारों का प्रयोजन निम्नलिखित कार्य क्षेत्रों में घनिष्ठ सहकार्यता का विकास करना है:-

क) निर्णय निर्धारण सहकार्यता, जो संगत विमानन संरक्षा एवं पर्यावरणीय संरक्षण की अपेक्षाओं के कार्यान्वयन के लिए सहायक सूचनाओं एवं उत्तम व्यवहारों के सहभाजन के माध्यम सहित होगी। ऐसी सहकार्यता का विकास पक्षकारों की विनियामक अनुकूलताओं के अध्याधीन किसी भी कार्य क्षेत्र के लिए किया जा सकेगा;

ख) ऐसे उत्पादों<sup>2</sup>, अवयवों तथा यंत्रों के प्रमाण पत्रों को जारी करने अथवा स्वीकार करने की सुविधाएं प्रदान करना जिनके संबंध में पक्षकारों द्वारा क्रमशः क्रियाकलाप एवं निर्माता राष्ट्र<sup>3</sup> से संबंधित प्रक्रियाएं की जाती हैं तथा प्रमाणन क्रियाकलापों के लिए परस्पर तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

ग) इस कार्य व्यवस्था के अंतर्गत उपयोज्यता के लिए स्वीकृत अथवा अनुमोदित सेवायोज्य उत्पादों, अवयवों एवं यंत्रों की निरंतर उड़नयोग्यता की सहकार्यता सहित संरक्षा सूचनाओं का सहभाजन करना;

घ) तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक कर्मियों का विकास।

1. ईएएसए के लिए यूरोपीय संसद के विनियम (यूरोपियन यूनियन) संख्या 2018/1139 के अनुच्छेद 90(2) परिषद के दिनांक 4 जुलाई, 2018 की नागर विमानन के क्षेत्र से संबंधित समान नियमावली तथा यूरोपियन यूनियन सेफ्टी एजेंसी की स्थापना करना है। ओजे एल 212, 22.08.2018, पी.1.

2. "उत्पाद" शब्द से वायुयान, इंजन अथवा प्रोपेल्लर अभिप्रेत है।

3. ईएएसए द्वारा यूरोपियन यूनियन के सदस्य राष्ट्रों की ओर निर्माता राष्ट्र के कार्यों एवं प्रक्रियाओं एवं विनियम (ईयू) 2018/1139 के अनुच्छेद 129 के अंतर्गत भागीदार राष्ट्रों के कार्यों का निर्वाह किया जाता है। इस कार्य व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए जाने के दौरान विनियम (ईयू) 2018/1139 के अनुच्छेद 129 के अंतर्गत भागीदार राष्ट्र स्विट्जरलैंड, नार्वे तथा लिक्टेन्स्टीन हैं।

1.3 पक्षकारों द्वारा अपने परस्पर हितों के संरक्षण की शर्त पर यह सहमति दी गई है कि इस कार्यव्यवस्था के अंतर्गत उनकी सहकार्यता का और अधिक विकास अन्य क्षेत्रों के लिए किया जाएगा, ऐसा किए जाने की स्थिति में इस कार्य व्यवस्था में तदनुसार संशोधन किए जाएंगे।

## 2 निर्णय निर्धारण सहकार्यता एवं तकनीकी सहायता

2.1 अपनी सम्बद्ध विनियामक अपेक्षाओं को विचार में लेकर सभी पक्षकार अपने क्षेत्रीय प्रयासों के साथ साथ विमानन संरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के सभी क्षेत्रों में विनियामक अपेक्षाओं को संगत बनाने के उद्देश्य से सहकार्यता करना चाहते हैं। अनुरोध किए जाने पर पक्षकारों द्वारा अपने संबंधित निर्णय निर्धारण क्रियाकलापों की सूचना का सहभाजन करेंगे तथा एक दूसरे को अपने संबंधित विनियामक मानकों में किए जाने वाले महत्वपूर्ण संशोधनों के प्रति यथासंभव व्यवहार्य स्वरूप में शीघ्र सहभाजित करेंगे।

2.2 जहां कहीं व्यवहार्य होगा वहां ईएएसए द्वारा यूरोपियन यूनियन के सम्बद्ध विधान के प्रोत्साहन, कार्यान्वयन एवं व्याख्या से संबंधित ईएएसए के कार्यक्रमों, कार्यशालाओं एवं सेमिनारों में नागर विमानन महानिदेशालय के विशेषज्ञों की प्रतिभागिता पर विचार किया जाएगा।

2.3 नागर विमानन महानिदेशालय से अनुरोध प्राप्त होने एवं संसाधन उपलब्ध होने की स्थिति में ईएएसए की ओर से नागर विमानन महानिदेशालय को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) की यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम (यूएसओएपी) प्रक्रिया के अंतर्गत संज्ञान में लिए गए निष्कर्षों से संबंधित आवश्यक सुधारों के व्यवस्थापन एवं कार्यान्वयन के अलावा इकाओ के मानकों एवं अनुशंसित व्यवहारों की अनुकूलता के अनुरूप भारत के राष्ट्रीय संरक्षा कार्यक्रम (एसएसपी) को स्थापित करने के उद्देश्य से यथोचित सहायता प्रदान की जाएगी।

2.4 पक्षकारों द्वारा संरक्षा सूचनाओं एवं संरक्षा संवर्धन के प्रयासों के सहभाजन एवं भारत के राष्ट्रीय संरक्षा कार्यक्रम (एसएसपी) एवं विमानन संरक्षा की यूरोपियन योजना के अंतर्गत संज्ञान में लिए गए संरक्षा मामलों एवं उनके निवारण के उपायों से जुड़ी जानकारी के विनिमय के संबंध में यथासंभव अधिकतम व्यवहार्य स्वरूप में विचार किया जाएगा।

2.5 नागर विमानन महानिदेशालय से अनुरोध प्राप्त होने एवं संसाधन उपलब्ध होने की स्थिति में ईएएसए की ओर से नागर विमानन महानिदेशालय के निरीक्षकों को यूरोपियन यूनियन मानकों एवं प्रक्रियाओं की अनुकूलता एवं अनुरूपता के अनुसार प्रशिक्षण देने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

## 3 उड़नयोग्यता एवं पर्यावरण से संबंधित प्रमाणन

3.1 पक्षकारों द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई है कि यह कार्य व्यवस्था कार्यान्वयन की उन प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यान्वित की जाएगी जिन्हें इस कार्य व्यवस्था के साथ अनुबंधित किया गया जाएगा। ऐसी कार्यान्वयन प्रक्रियाएं उत्पादन विशिष्ट होंगी तथा अपने सम्बद्ध उत्पाद एवं सम्बद्ध अवयवों तथा यंत्रों के लिए होंगी, ईएएसए द्वारा विनियम (यूरोपियन यूनियन) 748/2012<sup>4</sup> के अनुच्छेद 8(2) में की गई व्यवस्था के अनुसार नागर विमानन महानिदेशालय की डिजाइन निगरानी प्रक्रिया में पर्याप्त आत्मविश्वास स्थापित किया गया है।

---

4. वायुयान एवं सम्बद्ध उत्पादों, अवयवों तथा यंत्रों की उड़नयोग्यता एवं पर्यावरणीय प्रमाणन के कार्यान्वयन तथा डिजाइन एवं उत्पादन संगठनों (ईएएसए भाग 21) के प्रमाणन की नियमावतियों के निर्धारण के संबंध में अंतिम संशोधित दिनांक 3 अगस्त, 2012 का कमीशन विनियम (ईयू) संख्या 748/2012.



3.2 पक्षकारों की ओर से आगे यह भी सहमति की गई है कि विनियम (यूरोपियन यूनियन) संख्या 2018/1139<sup>5</sup> के अनुसरण में जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों तथा दस्तावेजों के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी तथा कार्यान्वित की जाने वाली एवं प्राधिकार प्रदान की जाने वाली क्रियाओं को तदनुसार उसी के आधार पर अंगीकार किया जाएगा:

- क) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा ईएएसए टाइप प्रमाणन (टीसी) अथवा प्रतिबंधित टाइप प्रमाणन की स्वीकृति नागर विमानन अपेक्षाएं खंड 6, श्रृंखला क, भाग II के अंतर्गत टाइप स्वीकृति पत्र (एलओटीए) जारी किए जाने के माध्यम से की जाएगी। नागर विमानन महानिदेशालय की ओर से किए गए अनुरोध एवं ऐसी स्वीकृति की सुगमता के लिए ईएएसए एवं नागर विमानन महानिदेशालय परस्पर यथोचित सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, जो विशेषतः नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा संज्ञान में लिए गए ऐसे मामलों के संबंध में होगा जहां उड़नयोग्यता अपेक्षाओं एवं यूरोपियन यूनियन की अपेक्षाओं के मध्य भिन्नता व्याप्त है।
- ख) किसी प्रमुख परिवर्तन के लिए ईएएसए के अनुमोदन अथवा किसी अनुपूरक टाइप प्रमाणन (एसटीसी) के कारण हुए टीसीडीएस में हुए संशोधन के प्रति नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा स्वीकृति नागर विमानन अपेक्षाएं खंड 6, श्रृंखला क, भाग II के अंतर्गत की जाएगी तथा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा परिवर्तित डिजाइन के परिमाण एवं जटिलता की यथोचित समीक्षा करके उसे समायोजित किया जा सकेगा। नागर विमानन महानिदेशालय के अनुरोध पर ईएएसए तथा नागर विमानन महानिदेशालय ऐसे स्वीकृतियों की औचित्यता के लिए परस्पर ऐसी सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे जो कि विशेषकर, ऐसी स्थिति में, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा संज्ञान में लिए गए ऐसे मामलों के संबंध में होगी जहां उड़नयोग्यता अपेक्षाओं एवं यूरोपियन यूनियन की अपेक्षाओं के मध्य भिन्नता व्याप्त है।
- ग) अन्य सभी प्रमुख परिवर्तनों के प्रति ईएएसए के अनुमोदन अथवा प्रमुख मरम्मतों को नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित डेटा के रूप में विचार में लिया जाएगा तथा डिजाइन अनुमोदन धारक की ओर से अग्रेतर अनुपालन की प्रस्तुति किए जाने अथवा सूचित किए जाने के बिना नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा इसकी स्वीकृति की जाएगी - तथा इसे नागर विमानन महानिदेशालयों की प्रक्रियाओं के अनुसार संसाधित किया जाएगा।
- घ) ईएएसए की ओर से किए जाने वाले न्यून परिवर्तनों, न्यून मरम्मतों एवं यूरोपियन तकनीकी मानक आदेश प्राधिकारों (ईटीएसओ) के प्रति नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अग्रेतर अनुपालन की प्रस्तुति किए जाने अथवा सूचित किए जाने के बिना स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

3.3 पैरा 9.1 पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना इस कार्य व्यवस्था में तृतीय पक्षकारों के बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (आईपीआर) के अंतर्गत संरक्षित दस्तावेजों का सहभाजन बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार के स्वामी से लिखित सहमति प्राप्त किए बिना किए जाने की कोई संभावना पक्षकारों को प्रतीत नहीं हुई है।

---

5. पक्षकारों द्वारा यह नोट किया गया है कि विनियम (ईसी) संख्या 216/2008 के निरसन के पश्चात विनियम (ईयू) 2018/1139 प्रवर्तित होने से विनियम (ईसी) संख्या 216/2008 के अंतर्गत जारी अथवा अनुमोदित प्रमाणपत्र तथा दस्तावेज एवं इसकी कार्यान्वयन नियमावतियां की मान्यता जारी रहेगी तथा इन्हें विनियम (ईयू) 2018/1139 के अनुरूपी प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया माना जाएगा।

#### 4 वित्त उद्भयोग्यता मामलों के संबंध में सहकार्यता

4.1 पक्षकारों द्वारा इस कार्य व्यवस्था के अंतर्गत अनुमोदित अथवा स्वीकृत किसी उत्पाद, अवयव अथवा यंत्र से संबंधित किसी दुर्घटना तथा घटना अथवा किसी अन्य प्रकार की जांच से उत्पन्न होने वाले उद्भयोग्यता घटकों के विश्लेषण के लिए सहकार्यता की जाएगी।

4.2 पक्षकारों द्वारा इस कार्य व्यवस्था के अंतर्गत अनुमोदित अथवा स्वीकृत किसी उत्पाद, अवयव अथवा यंत्र से संबंधित उद्भयोग्यता के मामलों पर नियमित जानकारी एवं सूचनाओं के आदान प्रदान के उद्देश्य से विशिष्ट ध्यानकेन्द्रण बिंदुओं सहित संरचनात्मक प्रक्रियाओं की स्थापना की जाएगी। ऐसी प्रक्रियाओं का विस्तार ऐसे उत्पादों, अवयवों एवं यंत्रों से सम्बद्ध उद्भयोग्यता क्रियाकलापों की निरंतरता के अनुरूप होगा।

4.3 प्रत्येक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को इस कार्य व्यवस्था के अंतर्गत अनुमोदित अथवा स्वीकृत किसी उत्पाद, अवयव अथवा यंत्र से सम्बद्ध किसी विशिष्ट घटना की जानकारी यथासंभव शीघ्र दी जाएगी, तथा यदि आवश्यकता हो तो दूसरे पक्षकार को सेवायोज्य उत्पादों, अवयवों अथवा यंत्रों की संरक्षा पर हुए प्रभाव के विश्लेषण में सहायता दी जाएगी।

4.4 प्रत्येक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को इस कार्य व्यवस्था के अंतर्गत अनुमोदित अथवा स्वीकृत किन्हीं उत्पादों, अवयवों अथवा यंत्रों से संबंधित प्रत्येक प्रकार के अनिवार्य उद्भयोग्यता सुधारों, विशेष जांच प्रक्रियाओं, विशेष प्रचालनात्मक सीमाओं अथवा अन्य अनिवार्य कार्रवाईयों, जो प्रभावित सेवायोज्य उत्पादों, अवयवों अथवा यंत्रों की उद्भयोग्यता को बनाए रखने का सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक समझी गई हैं, की जानकारी यथोचित स्वरूप में प्रदान की जाएगी।

4.5 जब कभी उपयुक्त होगा तब पक्षकार निर्माता राष्ट्र के क्रियाकलापों एवं प्रक्रियाओं के संबंध में किसी भी पक्षकार द्वारा उद्भयोग्यता की अनिवार्य निरंतरता के उद्देश्य से जारी सूचना पर परस्पर परामर्श करेंगे। सामान्यतः, उद्भयोग्यता की ऐसी अनिवार्य निरंतरता की सूचना दूसरे पक्षकार द्वारा अंगीकार की जाएगी। किसी ऐसे प्रभावित सेवायोज्य उत्पाद, अवयव अथवा यंत्र, जिनके संबंध में निर्माता राष्ट्र द्वारा क्रियाकलाप तथा प्रक्रिया नहीं की गई है, की उद्भयोग्यता की एकपक्षीय अनिवार्य निरंतरता की सूचना किसी एक पक्षकार की ओर से जारी किए जाने से पूर्व पक्षकारों द्वारा उद्भयोग्यता की निरंतरता बनाए रखने के मामलों पर परस्पर विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसा किए जाने से अपने क्षेत्राधिकार में अंतर्राष्ट्रीय, यूरोपियन यूनियन तथा/अथवा राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए प्रचालनात्मक वैमानिक उत्पादों की निरंतर संरक्षा को प्रभावित करने वाली असंरक्षित स्थिति का निवारण करने का किसी पक्षकार का अधिकार प्रभावित नहीं होगा।

4.6 इसके अलावा, इस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने वाले परियोजना विशिष्ट सहकार्यता प्रावधान इस कार्य व्यवस्था के अनुबंधों में शामिल किए जाएंगे।

4.7 इस अनुच्छेद के अंतर्गत पक्षकारों के मध्य की जाने वाली सहकार्यता से विनियम (ईयू) संख्या 728/2012 के अध्याधीन डिजाइन अनुमोदन धारकों के रिपोर्टिंग दायित्व किसी प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होंगे।

#### 5 उत्पादन मामलों के संबंध में सहकार्यता

5.1 पक्षकारों की ओर से यह सहमति व्यक्त की जाती है कि भारत में प्रत्येक नए विमान की आपूर्ति कमीशन विनियम (ईयू) संख्या 748/2012 के अंतर्गत किसी उत्पादन संगठन अनुमोदन (पीओए) के धारक द्वारा वैयक्तिक 'ईएसए फार्म 52' के साथ की जाएगी। ऐसे प्रमाणपत्र में यह उल्लेख होगा कि संबंधित विमान नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा स्वीकृत टाइप प्रमाणन की अनुरूपता के अनुसार है तथा इसे नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा।

5.2 नागर विमानन महानिदेशालय भारत में आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक विमान के लिए अंग्रेजी भाषा के उड़ान मैनुअल (एफएम) की स्वीकृति की जाएगी। भारत में आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक इंजन तथा/ अथवा प्रोपेल्लर के संबंध में नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा इंजनों तथा / अथवा प्रोपेल्लरों की ड्राइंग तथा मैनुअल, अनुरक्षण एवं ओवरहॉल मैनुअल सहित प्रचालन अनुदेश मैनुअलों की स्वीकृति अंग्रेजी भाषा में की जाएगी।

5.3 भारत में आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक इंजन तथा/अथवा प्रोपेल्लर एवं उनके अंग एवं यंत्र की आपूर्ति कमीशन विनियम (ईयू) संख्या 748/2012 के अंतर्गत पीओए धारक द्वारा जारी विशिष्ट 'ईएसए फार्म 1' के साथ की जाएगी। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा ईएसए फार्म 1 स्वीकार्य होगा।

5.4 जब किसी एक पक्षकार द्वारा निर्माता राष्ट्र के क्रियाकलापों एवं कर्तव्यों के निर्वाह के लिए किसी अन्य पक्षकार की ओर से जारी डिजाइन अनुमोदन के आधार पर किसी विमान, इंजन अथवा प्रोपेल्लर के निर्माण के उद्देश्य से उत्पादन अनुमोदन प्रदान किया जाएगा तो शिकागो सम्मेलन के अनुबंध 8 की अपेक्षाओं के अनुसार दोनों पक्षकार निर्माता संगठन एवं टाइप डिजाइन के लिए उत्तरदेयी संगठन के मध्य उन्हें स्वीकार्य ऐसे किसी अनुबंध अथवा स्वीकार्य व्यवस्था का सुनिश्चय करेंगे जिससे यह गारंटी प्राप्त होती हो कि:

क) निर्माता संगठन के पास उत्पादन के उद्देश्यों से सम्बद्ध अनुमोदित डिजाइन डेटा को एक्सेस करने का अधिकार है;

ख) निर्माता संगठन द्वारा टाइप डिजाइन के लिए उत्तरदेयी संगठन के साथ सम्बद्ध विमान, इंजन अथवा प्रोपेल्लर के डिजाइन, निर्माण एवं प्रचालन से संबंधित सूचना को एक्सेस करने के उद्देश्य से सहयोग करना।

5.5 जब किसी एक पक्षकार द्वारा निर्माता राष्ट्र के क्रियाकलापों एवं कर्तव्यों के निर्वाह के लिए किसी अन्य पक्षकार की ओर से जारी डिजाइन अनुमोदन के आधार पर किसी विमान, इंजन अथवा प्रोपेल्लर के निर्माण के उद्देश्य से उत्पादन अनुमोदन प्रदान किया जाएगा तो शिकागो सम्मेलन के अनुबंध 8 की अपेक्षाओं के अनुसार दोनों पक्षकारों द्वारा भी पैराग्राफ 5.4 में संदर्भित अनुबंध अथवा व्यवस्था की अवधि के दौरान विमान, इंजन अथवा प्रोपेल्लर के डिजाइन, निर्माण एवं उड़नयोग्यता की निरंतरता के लिए सहयोग करेंगे। उत्पादन अनुमोदन प्रदान करने वाले पक्षकार द्वारा तब इस अनुमोदन की समीक्षा की जाएगी जब टाइप डिजाइन के लिए उत्तरदेयी पक्षकार उसे प्रभावित उत्पाद के डिजाइन उत्पादन को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परिमित किए जाने, प्रसुप्त अथवा समाप्त किए जाने की जानकारी देगा।

## 6 तकनीकी प्रशिक्षण

अनुरोध किए जाने एवं संसाधन उपलब्ध होने के आधार पर पक्षकारों द्वारा इस कार्य व्यवस्था में अपने सम्बद्ध विनियामक निगरानी क्रियाकलापों में शामिल क्षेत्रों से संबंधित संयुक्त विकास, संगठन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम सहित तकनीकी प्रशिक्षण के व्यवस्थापन के लिए सहकार्यता की जाएगी।

## 7 संचार

7.1 इस कार्य व्यवस्था के कार्यान्वयन की सुगमता के लिए पक्षकारों द्वारा ध्यान केन्द्रण बिंदु निर्धारित किए जाएंगे। यदि किसी प्रकार की अन्यथा सहमति नहीं की गई है तो पक्षकारों के मध्य संचार व्यवस्था निर्दिष्ट ध्यान केन्द्रण बिंदुओं के माध्यम चैनलबद्ध किया जाएगा।

7.2 यदि किसी प्रकार की अन्यथा सहमति नहीं की गई है तो इस कार्य व्यवस्था एवं इसके अनुबंधों की अवरूद्ध उपयोज्यता के सुनिश्चय के लिए पक्षकारों की वार्षिक बैठकें आयोजित की जाएगी। संसाधनों के इष्टतम उपयोग के उद्देश्य से ऐसी बैठकें का आयोजन किसी भी पक्षकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले किन्हीं अन्य आयोजनों के अवसर पर किया जा सकेगा।

7.3 इस कार्य व्यवस्था के निष्पादन के लिए किया जाने वाला प्रत्येक संचार व्यवहार अंग्रेजी भाषा के माध्यम से किया जाएगा।

## 8 लागतें

8.1 यथोचित पाए जाने पर इस कार्य व्यवस्था के अनुच्छेद 2 में संदर्भित निर्णय निर्धारण सहकार्यता एवं तकनीकी सहायता के लिए वित्त पोषण सम्बद्ध यूरोपियन यूनियन तकनीकी सहायता कार्यक्रम के नियमों एवं निबंधनों का अनुसरण किए जाने के माध्यम से किया जा सकेगा।

8.2 पैराग्राफ 8.1 के प्रति किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना, पक्षकारों द्वारा इस कार्य व्यवस्था की उपयोज्यता के लिए अपनी संबंधित लागतों का वहन करने की सहमति की गई है।

8.3 ईएएसए द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी प्रशिक्षण सेवाएं यूनियन विमानन संरक्षा एजेंसी द्वारा लिए जाने वाले शुल्कों एवं प्रभारों से संबंधित दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 के कमीशन कार्यान्वयन विनियम (ईयू) 2019/2153 एवं उसके अनुवर्ती विनियमों के अंतर्गत प्रभारित की जाएंगी।

## 9 अंतिम प्रावधान

9.1 यह कार्य व्यवस्था ऐसे किसी भी उत्तरदायित्वों पर किसी प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होगी जो क्रमशः ईएएसए एवं नागर विमानन महानिदेशालय को अंतर्राष्ट्रीय, यूरोपियन यूनियन तथा/अथवा राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत प्राप्त हैं।

9.2 इस कार्य व्यवस्था से यूरोपियन यूनियन तथा इसके सदस्य राष्ट्र अथवा भारत के किसी पदग्राही के प्रति किसी प्रकार का विधिक दायित्व निर्मित नहीं होगा।

## 10 प्रवर्तन, व्याख्या, संशोधन, अवधि एवं समापन



10.1 इस कार्य व्यवस्था का प्रवर्तन पक्षकारों के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा। यह कार्य व्यवस्था हस्ताक्षर किए जाने की प्रक्रिया के लिए पत्रों का विनिमय करते हुए पक्षकारों के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा अंतिम हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से प्रवर्तित होगी।

10.2 इस कार्य व्यवस्था की व्याख्या अथवा उपयोज्यता से संबंधित भी किसी भी भिन्नता का समाधान पक्षकारों के मध्य विचार विमर्श के माध्यम से किया जाएगा।

10.3 अंग्रेजी और हिंदी रूपांतर के बीच कोई विसंगति होने पर इस कार्यव्यवस्था के आशय और अर्थ के निर्धारण में अंग्रेजी रूपांतर को मान्यता दी जाएगी।

10.4 इस कार्य व्यवस्था को परस्पर सहमति से संशोधित किया जा सकेगा। ऐसे संशोधन लिखित स्वरूप में किए जाएंगे तथा इनका प्रवर्तन पक्षकारों के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों अथवा उनके पदनामितों द्वारा अंतिम हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

10.5 यह कार्य व्यवस्था तब तक प्रवर्तित रहेगी जब तक कोई एक पक्षकार पूर्व सूचना दिए जाने के माध्यम से इसका निरसन नहीं करता है।

10.6 किसी भी पक्षकार द्वारा किसी भी समय दूसरे पक्षकार को इस कार्य व्यवस्था को समाप्त किए जाने के अपने निर्णय की लिखित सूचना दी जा सकेगी। यदि तीन माह की अवधि की समाप्ति से पूर्व परस्पर सहमति से इस सूचना को वापिस नहीं लिया जाता है तो दूसरे पक्षकार को ऐसी सूचना की प्राप्ति होने से तीन माह के पश्चात इस कार्य व्यवस्था को समाप्त किया जा सकेगा।

10.7 इस कार्य व्यवस्था के प्रावधानों के प्रति विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सहमति के अनुसार पक्षकारों के मध्य सहमति हुई है।

अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषाओं के दो मूल प्रपत्रों पर हस्ताक्षर किए गए

कृते यूरोपियन यूनियन संरक्षा एजेंसी (ईएएसए)

कृते नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)

श्री पैट्रिक केवाइ  
कार्यपालक निदेशक

14/09/2021

कोलोन, जर्मनी

श्री अरुण कुमार  
महानिदेशक

07/07/2021

नई दिल्ली, भारत

## अनुबंध 1

### उड़नयोग्यता एवं पर्यावरण प्रमाणन की कार्यान्वयन प्रक्रिया

#### सामान्य प्रावधान

1. इस कार्यान्वयन प्रक्रिया से उन कुछ उत्पादों, और संबंधित अवयवों तथा यंत्रों के डिजाइन अनुमोदन और निरंतर समर्थन के लिए पक्षकारों के मध्य इंटरफ़ेस अपेक्षाओं की स्थापना की गई है जिनके संबंध में भारत की ओर से नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निर्माता राष्ट्र के क्रियाकलापों एवं कार्यों का संपादन किया गया है।
2. इस कार्यान्वयन प्रक्रिया का उद्देश्य इस अनुबंध के परिशिष्ट क में निर्धारित किए गए उत्पादों के संबंध में नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अथवा निगरानी में निष्पादित तकनीकी मूल्यांकनों, परिक्षण परिणामों, समनुरूपता विवरणों, अनुमोदनों तथा उड़नयोग्यता एवं पर्यावरण प्रमाणन क्रियाकलापों का क्रेडिट प्रदान करने, जहां यथोचित हो, के लिए ईएएसए को स्वयं अपने डिजाइन अनुमोदन जारी करने की अनुमति प्रदान करना है।
3. परिशिष्ट क में संज्ञान किए गए उत्पादों के लिए, ईएएसए द्वारा विनियमन (ईयू) संख्या 748/2012 के अनुच्छेद 8.2 के अनुसरण में नागर विमानन महानिदेशालय की विनियामक निगरानी व्यवस्था का प्रारंभिक मूल्यांकन एवं भारत की डिजाइन संगठन निगरानी व्यवस्था का निर्धारण किया गया है जिसमें विनियम की अपेक्षाओं के अनुसार इसकी स्वतंत्रता के स्तर के अनुपालन की जांच भी शामिल है। इस कार्यान्वयन प्रक्रिया के अनुकूल प्राप्त किसी भी नए आवेदन के लिए ईएएसए की ओर से ऐसी उपयोज्यता की स्वीकृति किए जाने से पूर्व समान प्रकार का मूल्यांकन किए जाने का अनुरोध किया जा सकता है।
4. विश्वसनीयता के प्रारंभिक स्तर के अनुरक्षण के लिए ईएएसए को ओर से नागर विमानन महानिदेशालय की डिजाइन संगठन निगरानी व्यवस्था के आवर्ती मूल्यांकन किए जाएंगे। ऐसी आवर्ती मूल्यांकनों में डेस्कटॉप तथा / अथवा ऑन-साइट विज़िट शामिल हो सकती हैं और यदि पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार की अन्यथा सहमति नहीं हुई है तो ऐसे कार्य प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार किए जा सकते हैं।
5. पक्षकारों ने यह सहमति दी है कि इस कार्यान्वयन प्रक्रिया की उपयोज्यता के दौरान किसी उत्पाद के अनुमोदन के उद्देश्य से तकनीकी समीक्षा एवं अनुपालन निर्धारण के लिए ईएएसए द्वारा तकनीकी उपयोग के स्तर का समायोजन किया जा सकेगा। ऐसा ईएएसए की ओर से अपनी अपेक्षाओं के अनुपालन की संवेदनशीलता की प्रस्तुति किए जाने के पूर्वानुमान के आधार पर किया गया है। ईएएसए के तकनीकी हस्तक्षेप का स्तर ईएएसए की आंतरिक व्यवस्था क्रम और प्रक्रियाओं के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
6. पक्षकारों द्वारा परस्पर पत्रों का विनिमय किए जाने के माध्यम से इस अनुबंध के परिशिष्ट में संशोधन किए जा सकेंगे।

#### भाग क- टाइप प्रमाणन

##### 1. प्रस्तावना

इस भाग का उद्देश्य ऐसे उत्पादों पर ईएएसए के अनुमोदन के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण करना है जिनके संबंध में निर्माता राष्ट्र के प्राधिकारी के रूप में नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा टाइप प्रमाणन जारी अथवा उपयोज्यता के लिए स्वीकृत किया गया है।

## 2. ईएएसए टाइप प्रमाणन की उपयोज्यता

2.1 ईएएसए टाइप प्रमाणन के आवेदन विनियम (ईयू) संख्या 748/2018, खंड क, उपखंड ख के अनुबंध 1 (भाग 21) तथा ईएएसए प्रमाणन / मान्यकरण प्रक्रियाओं के अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे। नागर विमानन महानिदेशालय के टाइप प्रमाणन से युक्त उत्पादों अथवा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा टाइप प्रमाणन के लिए स्वीकृत उपयोज्यताओं के आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

2.2 नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा ईएएसए के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदनों को आनलाइन पोर्टल के माध्यम से सही प्रारूप में प्रस्तुत करने एवं इसमें निम्नलिखित सूचना का समावेश किए जाने का सुनिश्चय किया जाएगा:

क) विनियम (ईयू) 748/2012(भाग 21) के अनुबंध 1 के 21.ए.15 के अंतर्गत अपेक्षित डेटा।

ख) नागर विमानन महानिदेशालय का टाइप प्रमाणन एवं टीसी डेटा शीट (टीसीडीएस), यदि उपलब्ध है, तथा जिन राष्ट्रीय उड़नयोग्यता एवं पर्यावरण संरक्षण मानकों के आधार पर डीजीसीए का डिजाइन अनुमोदन आधारित था (अथवा होगा) एवं ईएएसए के समकक्ष मानकों को डीजीसीए मानकों के अनुरूप पाए जाने की परिभाषा, अथवा

ग) जब कोई टाइप प्रमाणन डीजीसीए द्वारा अभी जारी नहीं किया गया है, तो डीजीसीए की टाइप प्रमाणन के लिए स्वीकृत मूल आवेदन की प्रति,

घ) ईएएसए टाइप प्रमाणन के लिए योजना तिथि,

ङ) टाइप प्रमाणन आवेदक का प्रस्तावित प्रमाणन आधार जिसमें ईएएसए की लागू उड़नयोग्यता एवं पर्यावरण संरक्षण अपेक्षाओं का संशोधित स्तर शामिल है,

च) ईएएसए द्वारा आवेदन पर प्रक्रिया के लिए अपेक्षित किया गया अन्य कोई तकनीकी डेटा, तथा

छ) यूरोपियन यूनियन ग्राहकों के लिए उपलब्ध सूचना एवं डिलीवरी अनुसूची।

इसके अलावा, यदि आवेदन के समय ज्ञात हैं तो आवेदन में निम्नलिखित सूचना का समावेश किया जाना है:

क) आवेदन के समय टाइप प्रमाणन आवेदक तथा डीजीसीए को उत्पाद के संबंध में ज्ञात सभी नव्य अथवा असामान्य डिजाइन आकर्षणों एवं गैर-पारंपरिक उपयोग का विवरण जो डीजीसीए की विशेष शर्तों के अध्याधीन हैं(अथवा होंगे) तथा जिनके लिए विनियम (ईयू) संख्या 748/2012 के अनुबंध 1 (भाग 21) के 21.बी.75 के अंतर्गत ईएएसए को विशेष स्थितियों की व्यवस्था जारी करनी पड़ सकती हैं अथवा जिनसे अनुपालन के स्वीकार्य अर्थों की विशेष समीक्षा करने की अपेक्षा हो सकती है; तथा

ख) प्रत्येक प्रकार की ज्ञात अथवा संभावित छूटें, विचलन अथवा डिजाइन अनुमोदन के लिए डीजीसीए के मानकों से सम्बद्ध संरक्षा निष्कर्षों के ऐसे समकक्ष स्तर जो ईएएसए की लागू उड़नयोग्यता अथवा पर्यावरण संरक्षण अपेक्षाओं के अनुपालन को प्रभावित कर सकती हैं।

## 3. ईएएसए तथा डीजीसीए की संचार प्रक्रियाएं

3.1 ईएएसए टाइप प्रमाणन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर ईएएसए द्वारा परियोजना के लिए परियोजना प्रमाणन प्रबंधक (पीसीएम) एवं ईएएसए के विशेषज्ञों की एक समर्पित प्रमाणन टीम नामित की जाएगी तथा तदनुसार, इसकी जानकारी टाइप प्रमाणन आवेदन एवं डीजीसीए, दोनों, को दी जाएगी। डीजीसीए एवं टाइप

प्रमाणन आवेदक द्वारा परियोजना के लिए अपनी टीम से संबंधित समान जानकारी ईएएसए के परियोजना प्रमाणन प्रबंधक (पीसीएम) को दी जाएगी।

3.2 डीजीसीए तथा ईएएसए के बीच परियोजना के लिए डीजीसीए टाइप प्रमाणन समन्वयक एवं ईएएसए के परियोजना प्रमाणन प्रबंधक (पीसीएम) द्वारा परस्पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रकार का पत्रव्यवहार अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा।

3.3 प्रत्येक मामले में ईएएसए तथा डीजीसीए के सम्बद्ध तकनीकी विशेषज्ञों के बीच अपेक्षाओं के अनुसार तकनीकी सूचना के विनिमय सहित प्रत्यक्ष विचार विमर्श परियोजना प्रबंधक द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा। ईएएसए के परियोजना प्रमाणन प्रबंधक एवं नागर विमानन महानिदेशालय के टाइप प्रमाणन समन्वयक को ऐसे प्रत्येक विनिमयों की जानकारी दी जाएगी।

3.4 ईएएसए की प्रमाणन टीम एवं टाइप प्रमाणन आवेदक द्वारा ऊपर पैराग्राफ 3.2 में दर्शाई गई योजना का अनुसरण एवं डीजीसीए की इसमें प्रतिभागिता का सुनिश्चय किया जाएगा।

3.5 ईएएसए की ओर से नागर विमानन महानिदेशाल को ऐसे प्रत्येक बैठक (बैठकों) की सूचना भेजी जाएगी जो ईएएसए द्वारा टाइप प्रमाणन आवेदक तथा / अथवा उसके आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रमाणन मामलों के लिए प्रत्यक्ष सम्पर्क हेतु आयोजित की गई हो। इस प्रकार की बैठकों की सूचना में ईएएसए द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय से भाग लेने का अनुरोध करते हुए डीजीसीए को प्रतिभागिता के लिए अपेक्षित पर्याप्त नोटिस दिया जाएगा। डीजीसीए की यदि किसी बैठक में भाग लेने की मंशा होगी तो इसकी जानकारी ईएएसए को भेजी जाएगी।

#### 4. ईएएसए के उत्तरदायित्व

4.1 ईएएसए द्वारा आवेदन की स्वीकृति किए जाने पर, ईएएसए के पीसीएम द्वारा एक परियोजना सूचना दस्तावेज (पीआईडी) तैयार करके जारी किया जाएगा। इस दस्तावेज़ पर टाइप-प्रमाणन आवेदक के साथ चर्चा की जाएगी जिससे कि ईएएसए परियोजना की टाइप प्रमाणन प्रक्रिया के कुशल संचालन के लिए, कार्यान्वयन प्रक्रियाओं के साथ उचित रूप से सहमत परियोजना कार्य प्रक्रिया प्रदान की जा सके। परियोजना योजना दस्तावेज में एक तालिका अवश्य शामिल होगी जिसमें ईएएसए की प्रमाणन टीम के विशेषज्ञों के बीच जिम्मेदारी आवंटन और काम के सहभाजन की संदर्भ शर्तें होंगी, जो कि इस मंशा को स्पष्ट करने के लिए हैं कि ईएएसए के किस विशेषज्ञ ने किस तकनीकी क्षेत्र में प्रमुख कार्य किए हैं तथा किन अनुपालनों से संबंधित निष्कर्ष किए गए हैं।

4.2 ईएएसए की ओर से प्रमाणन क्रियाकलापों को प्रारंभ करने के लिए डीजीसीए एवं टाइप प्रमाणन आवेदक के साथ सामान्य कार्यपद्धति बैठक (बैठकों) एवं तकनीकी कार्यपद्धति बैठक (बैठकों) का आयोजन किया जाएगा:

क) सामान्य कार्यपद्धति की बैठक (बैठकों) में ईएएसए के परियोजना प्रमाणन प्रबंधक और और ईएएसए के अन्य प्रतिनिधियों की प्रतिभागिता होगी। इससे उत्पाद और इसकी प्रमाणन विशेषताओं के साथ ईएएसए की प्रारंभिक कार्य पद्धति का अनुकूलन होगा सकेगा और ईएएसए टीम के योग्य विशेषज्ञों द्वारा इसकी परिभाषा व्यक्त की जा सकेगी। टाइप-सर्टिफिकेट आवेदक से, उसे वर्तमान में ज्ञात, प्रत्याशित प्रमाणन अनुसूची और समग्र डिजाइन एवं डीजीसीए के टाइप प्रमाणन पर आधारित कार्यपद्धति के साथ परियोजना का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करने अपेक्षा की गई है। डीजीसीए द्वारा पहले से जारी किए गए प्रपत्रों की सूची ईएएसए को दी जानी चाहिए। इस प्रारंभिक परस्पर विचार विमर्श का उद्देश्य ईएएसए की तकनीकी



प्रमाणीकरण टीम विशेषज्ञों की आगामी तकनीकी कार्यपद्धति बैठकों की कुशल तैयारी सुनिश्चित करना भी है।

ख) तकनीकी कार्यपद्धति के अंतर्गत मुख्यतः ईएएस की प्रमाणन टीम की ओर से ईएएस के विशेषज्ञों को उत्पाद को प्रमाणित करने के लिए डायरेक्ट एक्सेस प्राप्त करने एवं प्रमाण-पत्र आवेदक के प्रतिपक्षी विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श की बैठक (बैठकें) आयोजित करने की सुविधा प्रदान करना है। नागर विमानन महानिदेशालय के विशेषज्ञ भी अपेक्षाओं के अनुसार बैठक (बैठकों) में भाग ले सकते हैं।

तकनीकी कार्यपद्धति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- i. उत्पाद की टाइप डिजाइन परिभाषा और उस उत्पाद से संबंधित अवयवों एवं यंत्रों की पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए; यह विशेष रूप से किसी भी नव्य डिजाइन सुविधाओं, विद्यमान प्रौद्योगिकी की नव्य उपयोग्यताओं, अथवा उत्पाद के गैर-पारंपरिक उपयोगों और किसी भी ऐसे डिजाइन आकर्षणों की प्रस्तुति के लिए अपेक्षित है जिनमें असुरक्षित स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है;
- ii. डीजीसीए के टाइप प्रमाणन के आधार पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए, सभी ज्ञात या अपेक्षित विशेष परिस्थितियों, छूट, विचलन या समकक्ष स्तर के सुरक्षा निष्कर्षों को संबोधित करना, और डीजीसीए के प्रकाशित पत्रों की प्रप्ति की मांग करना;
- iii. उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने वाले अनुपालन के माध्यमों को पूरी तरह से समझने के लिए ईएएस को अवसर प्रदान करने के लिए प्रासंगिक जानकारी में उपयोग में लाई गई कार्यप्रणालियों के सामान्य सिद्धांतों की पर्याप्त विस्तृत प्रस्तुति ईएएस की समझ के लिए की जानी चाहिए जिसमें उपयोग में लाए गए अनुमानों, सीमाओं की स्थिति और इन पद्धतियों के वे महत्वपूर्ण मापदंड शामिल होने चाहिए जो अनुपालन निष्कर्षों की तकनीकी पर्याप्तता के लिए आवश्यक हैं; इस प्रकार इसके अंतर्गत प्रमाणन कार्यक्रम (कार्यक्रमों) तथा परीक्षण योजना (योजनाओं) एवं दस्तावेज (दस्तावेजों) का सिस्टम मूल्यांकन विश्लेषण भी अपेक्षित हो सकता है।

ईएएस की टीम द्वारा स्पष्टता प्राप्ति के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं एवं प्रस्तुत की गई सामग्री को उचित रूप से समझने के लिए गहन चर्चा की जा सकती है। ऐसा ईएएस को प्रमाणन प्रक्रिया के अगले चरणों पर प्रक्रिया के लिए अपेक्षित आवश्यक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य के लिए आवश्यक है।

ग) ईएएस प्रमाणन टीम की कार्यपद्धति से परिचित होने के पश्चात ईएएस का टाइप-प्रमाणन आधार को डीजीसीए और टाइप-प्रमाणन आवेदक को सूचित किया जाएगा। ऐसे ईएएस टाइप-प्रमाणन आधार को विनियमन (ईयू) संख्या 748/2012 और लागू ईएएस नीति के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया जाएगा।<sup>6</sup>

---

6. पक्षकारों की ओर से यह सहमति व्यक्त की गई है कि इस पैराग्राफ की उपयोग्यता इस कार्य व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए जाने से पूर्व प्रारंभ किए गए प्रमाण क्रियाकलापों के निबंधनों एवं शर्तों के प्रति किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना की जाएगी।



नोट: ईएएसए टीसी में कुछ डेटा शामिल होते हैं, जिन्हें ऑपरेशनल सुटेबिलिटी डेटा (ओएसडी) कहा जाता है, जो कि टाइप प्रमाणन धारकों के लिए आवश्यक होते हैं। अल्पीकरण के लिए कोई ईएएसए टाइप प्रमाणन विलंबित ओएसडी अनुमोदन के साथ जारी किया जा सकता है। तथापि, ऐसे मामले में, टाइप प्रमाणन का अनुमोदन प्राप्त उत्पाद यूरोपीय संघ के किसी प्रचालक द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य से प्रचालित नहीं किया जा सकता है। इस मामले में ओएसडी डेटा को यूरोपियन यूनियन प्रचालक की सेवा में शामिल करने से पूर्व ईएएसए की ओर से स्वतंत्र रूप से अनुमोदित करके प्रमाण पत्र जारी किया जाना अपेक्षित होगा; इसके लिए किसी भी ओएसडी प्रमाणन आधार परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने के लिए ईएएसए टाइप प्रमाणन आधार दस्तावेज (यथा सीआरआई ए-01) को पुनर्खोले जाने : की आवश्यकता हो सकती है। टीसीडीए द्वारा तब ओएसडी संदर्भ रिकॉर्ड अद्यतन किया जाएगा। ओएसडी अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ईएएसए के सम्मुख अलग आवेदन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

घ) ईएएसए द्वारा टाइप प्रमाणन आवेदक एवं डीजीसीए को ईएएसए के उड़नयोग्यता मानकों, पर्यावरण संरक्षण अपेक्षाओं के अनुपालन की अपेक्षाओं तथा ओएसडी प्रमाणन आधार एवं ईएएसए के अनुपालन की घोषणा किए जाने के संबंध में यथोचित व्याख्यात्मक सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी।

4.3 ईएएसए द्वारा प्रमाणन समीक्षा मर्दों (सीआरआई) से संबंधित प्रमुख प्रमाणन विषय निम्नानुसार होंगे :-

- क) प्रत्येक अपेक्षा को उसकी प्रकृति के अनुरूप संज्ञान में लेकर ईएएसए के प्रमाणन आधार, पर्यावरण संरक्षण अपेक्षाओं एवं ओएसडी प्रमाणन आधार का सार संक्षेप परिभाषित करने एवं रिकार्ड करने के लिए;
- ख) नव्य अथवा असमान्य आकर्षणों अथवा गैर-पारंपरिक उपयोग के उत्पाद के संबंध में ईएएसए की विशेष शर्तों का निर्माण करना एवं उन्हें उपयोग में लाने के लिए;
- ग) संरक्षा अथवा विचलनों के समकक्ष स्तर के निष्कर्षों को उपयोग में लाने के लिए;
- घ) नागर विमानन महानिदेशालय से अनुपालन, व्याख्या के अभिप्राय भिन्न होने की स्थिति में विशिष्ट ईएएसए मानकों अथवा नीतियों अथवा पर्याप्त दिशानिर्देश सामग्री की उपयोज्यता को परिभाषित एवं रिकार्ड करने के लिए;

ड) ईएएसए के प्रमाणन आधार के अनुपालन के लिए अपेक्षित डिजाइन परिवर्तनों को सूचीबद्ध करने के लिए।

4.4 ईएएसए के उड़नयोग्यता मानकों अथवा पर्यावरण संरक्षण आवश्यकताओं के अनुपालन के निष्कर्षों को प्रशासित करने के उद्देश्य से, ईएएसए प्रमाणन कार्रवाई मर्दें (सीएआई) जारी की जाएंगी:

- क) अनुपालन के प्रस्तावित प्रस्तुतियों की उपयुक्तता की समीक्षा के लिए प्रमाणन कार्य को परिभाषित करने और प्रशासन करने के लिए;
- ख) प्रमाणन विषयों और प्रसंगों का संज्ञान करने, और अनुपालन प्राप्ति प्रक्रिया में ईएएसए की प्रत्यक्ष भागीदारी का औचित्य प्रमाणित करने के लिए;
- ग) विवादास्पद विषयों को रिकॉर्ड करने के लिए।

4.5 बैठकों के सहमत कार्यवृत्त अथवा पत्राचार के विनिमय के माध्यम से टाइप प्रमाणन आवेदक को ऐसी सरल प्रमाणीकरण क्रियाओं को सूचित एवं रिकार्डबद्ध किया जाएगा जो सीएआई के जारी करने के योग्य नहीं हैं।

4.6 ऐसे प्रमाणन क्षेत्रों के संबंध में, जिन्हें ईएएसए ने ध्यान दिए जाने योग्य क्षेत्र के रूप में इंगित किया गया है, ईएएसए की ओर से उच्च स्तर का विचार अनुरक्षित किया जाएगा जिसके अंतर्गत प्रस्तावित अनुपालन निष्कर्षों की समीक्षा करने और स्वीकार करने के संबंध में गहन जांच की जाएगी।

4.7 उत्पाद के डिजाइन की कार्यपद्धति से परिचित होने के पश्चात प्रमाणन के अन्य क्षेत्रों के लिए, डीजीसीए का टाइप प्रमाणन आधार और डीजीसीए द्वारा उपयोग में लाए गए अनुपालन के समग्र साधन (अथवा उपयोग किए जाने वाले) के संबंध में ईएएसए की प्रमाणन टीम द्वारा विनियम (ईयू) संख्या 748/2012 के अंतर्गत अपनी जांच को प्रस्तावित अनुपालन निष्कर्षों के नमूने के तौर पर सीमित किया जा सकता है। उस संबंध में, ईएएसए द्वारा टाइप-प्रमाणन आवेदक को ऐसे विषयों की सूचना लिखित सूचना (डीजीसीए को प्रति प्रेषण के साथ) यथाशीघ्र भेजी जाएगी जो ईएएसए की प्रत्यक्ष भागीदारी से अनुपालन निष्कर्षों की प्रस्तुति के नमूने के तौर पर शामिल किए जाने के लिए चयन की गई हैं। इसकी जांचों का दायरा और और इसकी गहनता को सम्बद्ध ईएएसए विशेषज्ञों की प्रमाणन टीम द्वारा ईएएसए के पीसीएम के सुपरवीजन में विनियम (ईयू) संख्या 748/2012 एवं ईएएसए प्रमाणन प्रक्रियाओं के अनुसार इस कार्य व्यवस्था में परिभाषित सिद्धांतों को ध्यान में रखकर परिभाषित किया जाएगा।

4.8 ईएएसए द्वारा डीजीसीए को इसकी जांच से संबंधित अपने निष्कर्ष लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

4.9 ईएएसए डीजीसीए को एक सारांश सूची और उत्पन्न सभी सीआरआई और सीएआई और संशोधनों की एक प्रति प्रदान करेगा, जिसमें सीआरआई और सीएआई से संबंधित प्रमाण पत्र सहित आवेदक के साथ किए गए पत्राचार की प्रतियां शामिल होंगी।

4.10 ईएएसए प्रत्येक सीआरआई या सीएआई की स्थिति की जानकारी टाइप प्रमाणन आवेदक (डीजीसीए को प्रति के साथ) को देगा और डीजीसीए तथा टाइप-सर्टिफिकेट आवेदक से औपचारिक स्थिति विवरण के लिए अनुरोध करेगा।

4.11 अनुपालन निष्कर्षों के प्रति संतुष्ट होने पर, ईएएसए उन विषयों के लिए टाइप-प्रमाणन आवेदक और डीजीसीए दोनों को स्वीकृति का विवरण प्रेषित करेगा, जिसके लिए उसने अनुपालन निर्धारित किया है।

## 5. नागर विमानन महानिदेशालय के उत्तरदायित्व

5.1 डीजीसीए यह सुनिश्चित करेगा कि ईजीए प्रमाणन टीम को उत्पाद के डिजाइन, डीजीसीए प्रकार-प्रमाणन आधार और डीजीसीए द्वारा प्रयुक्त (या उपयोग किए जाने वाले) के समग्र माध्यमों के टाइप-प्रमाणन आवेदक द्वारा उचित रूप से सही जानकारी दी गई है।

5.2 डीजीसीए द्वारा ईएएसए प्रमाणन टीम विशेषज्ञों और पीसीएम को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

5.3 डीजीसीए द्वारा ईएएसए टाइप-प्रमाणन आधार और पर्यावरण संरक्षण आवश्यकताओं के अनुपालन के साथ ईएएसए को स्वीकार्य अनुपालन और मार्गदर्शन सामग्री का उपयोग किया जाएगा (ऊपर प्रस्तुत अनुच्छेद 4 देखें)।

5.4 डीजीसीए की ओर से सीआरआई और सीएआई पर टिप्पणियां प्रारंभ की जाएंगी, जिसके लिए ईएएसए ने डीजीसीए स्थिति का विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है, अथवा डीजीसीए ने ऐसा उपयुक्त माना है।

5.5 ईएएसए टाइप-प्रमाणन आधार और पर्यावरण संरक्षण आवश्यकताओं की अनुरूपता की प्रस्तुति की पुष्टि के रूप में डीजीसीए द्वारा एक औपचारिक विवरण की प्रस्तुति ईएएसए को की जाएगी। ओएसडी प्रमाणन के आधार के अनुपालन के संबंध में डीजीसीए की ओर से कोई कार्रवाई की अपेक्षित नहीं होगी।

5.6 प्रमाणन प्रक्रियाओं के संदर्भ में डीजीसीए और ईएएसए, दोनों, द्वारा समानांतर प्रगति की गई है, डीजीसीए द्वारा प्रगति, कार्यक्रम, समस्याएं और महत्वपूर्ण प्रमाणन मुद्दों सहित प्रमाणन कार्यक्रम की स्थिति पर एक नियमित आधार (मासिक या अन्यथा सहमत) पर ईएएसए को सूचना भेजी जाएगी।

## 6. परीक्षण साक्ष्य

6.1 ईएएसए द्वारा डीजीसीए और टाइप-प्रमाणन आवेदक को डीजीसीए द्वारा अपनी ओर से परीक्षण किए जाने अथवा उपयोग किए जाने वाले परीक्षणों के साक्ष्य देने के अनुरोध के बारे में सूचित किया जाएगा और उपयोग किए जाने वाले परीक्षण कार्यक्रमों की पहचान की जाएगी। डीजीसीए रिपोर्ट किए गए प्रमाणन परीक्षण परिणामों को सत्यापित करेगा और उन्हें ईएएसए को अग्रेषित करेगा। ईएएसए इन परीक्षा परिणामों की समीक्षा करेगा और इसके निष्कर्ष डीजीसीए (टाइप-प्रमाणन आवेदक को प्रति प्रेषण के साथ) को सूचित करेगा।

6.2 प्रासंगिक यूरोपीय संघ के नियमों के अधीन, ईएएसए डीजीसीए को अपनी ओर से परीक्षण कार्यक्रम और / या परीक्षण परिणामों की रिपोर्ट की समीक्षा करने या अनुमोदन करने का अनुरोध कर सकता है।

6.3 जहां ईएएसए को विशिष्ट परीक्षणों की साक्षी में प्रत्यक्ष भागीदारी की आवश्यकता होगी तो उसे संबंधित सीएआई या सीआरआई के अनुसार निर्दिष्ट किया जाएगा।

## 7. प्रलेखन

### 7.1 ईएएसए टाइप प्रमाणन के लिए आवश्यक दस्तावेज

7.1.1 टाइप प्रमाणन आवेदक द्वारा ईएएसए को टाइप-प्रमाणन प्रदान करने से पूर्व टाइप प्रमाणन की सूची एक विशिष्ट सीआरआई में परिभाषित की जाएगी और इसमें कम से कम निम्नलिखित शामिल होंगे:

- भाग 21.A.20 के अनुसार अनुपालन की घोषणा;
- समीक्षा के लिए ईएएसए द्वारा पहचान के साथ धारित किए गए प्रमाणीकरण और अनुपालन दस्तावेजों की सूची;
- अनुपालन रिकॉर्ड शीट / अनुपालन रिकॉर्ड बुक (यथा ईएएसए टाइप-प्रमाणन आधार आवश्यकताओं के अनुपालन की चेकलिस्ट);
- पूरकों अथवा परिशिष्टों के साथ विमान उड़ान मैनुअल;
- निरंतर उड़नयोग्यता एवं उड़नयोग्यता के सीमाओं के खंड से संबंधित निदेश।

7.1.2 कोई भी प्रमाणन अथवा अनुपालन दस्तावेज, जो ईएएसए द्वारा औपचारिक समीक्षा के लिए धारित किया जाएगा और स्वीकृति को संबंधित साधारण प्रमाणन कार्रवाई अथवा सीएआई अथवा सीआरआई के अनुसार निर्दिष्ट किया जाएगा।

### 7.2 विमान उड़ान मैनुअल (एएफएम) की अनुमोदन प्रक्रिया

7.2.1 एएफएम को लागू ईएएसए प्रमाणन प्रक्रियाओं के अंतर्गत संसाधित किया जाएगा। ईएएसए किसी भी पूरक या परिशिष्ट सहित प्रासंगिक डीजीसीए अनुमोदित एएफएम (अथवा यदि अभी तक अनुमोदित नहीं है तो एएफएम का मसौदा) की समीक्षा करेगा। ईएएसए एएफएम की सामग्री पर टाइप-प्रमाणन आवेदक और डीजीसीए को टिप्पणी प्रदान करेगा।

7.2.2 एक पूर्ण ईएएसए एएफएम (डीजीसीए एएफएम सहित जो संबंधित ईएएसए एएफएम पृष्ठों के साथ संशोधित है) को पुनः अग्रेतर समीक्षा और अनुमोदन के लिए ईएएसए को प्रस्तुत किया जाएगा। एएफएम विशिष्ट ईएएसए आवश्यकताओं के प्रति ईएएसए की इस संतुष्टि के पश्चात, एएफएम का अनुमोदन दिया जाएगा।

7.2.3 ईएएसए एएफएम की सामग्री ईएएसए के लिए स्वीकार्य भाषा में तैयार की जाएगी।

### 7.3 उड़नयोग्यता की सीमा खंड की अनुमोदन प्रक्रिया

7.3.1 निरंतर उड़नयोग्यता के लिए निदेशों के उड़नयोग्यता सीमा खंड (एएलएस) के लिए ईएएसए अनुमोदित प्रक्रिया का अनुसरण एएफएम के संबंध में ऊपर परिभाषित सिद्धांतों के अनुरूप किया जाएगा।

7.3.2 जब डीजीसीए के अनुमोदन एएलएस के प्रति जब ईएएसए को यह संतुष्टि होती है कि एएलएस ईएएसए की निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप है तो ईएएसए द्वारा एएलएस की मंजूरी प्रदान की जाएगी।

7.3.3 समर्पित मैनुअल या मैनुअल की सामग्री ईएएसए द्वारा स्वीकार्य भाषा में तैयार की जाएगी।

## 8. ईएएसए टाइप प्रमाणन जारी करना

ईएएसए द्वारा टाइप प्रमाण तब जारी किया जाएगा जब :

- क) टाइप प्रमाणन आवेदन द्वारा कमीशन विनियम (ईयू) संख्या 748/2012 की लागू अपेक्षाओं तथा ईएएसए के शुल्क एवं प्रभारों के भुगतान से संबंधित प्रशासनिक अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया हो,
- ख) डीजीसीए भारत द्वारा उत्पाद के लिए अपना टाइप प्रमाणन जारी कर दिया गया हो, तथा
- ग) ईएएसए द्वारा टाइप प्रमाणन के लिए अपनी अनुमोदित प्रक्रियाओं का संपादन कर लिया गया हो।

### भाग ख - टाइप-प्रमाणों में परिवर्तन

#### 1. प्रस्तावना

इस भाग का उद्देश्य टाइप प्रमाणन धारक द्वारा व्युत्पन्न टाइप प्रमाणनों, मरम्मत डिजाइनों तथा अनुमोदित मैनुअलों<sup>7</sup> में परिवर्तन के अनुमोदन की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।

#### 2. एएफएम एवं एएलएस संशोधनों के अलावा डिजाइन परिवर्तन

2.1 डिजाइन परिवर्तनों का वर्गीकरण 'प्रमुख परिवर्तन' अथवा 'न्यून परिवर्तन' के रूप में किया गया है।

2.2 डिजाइन के न्यून परिवर्तनों की विनियम (ईयू) संख्या 748/2012, प्वाइंट 21.ए.91 तथा जीएम 21.ए.91 में परिभाषित किया गया है।

7. एएफएम तथा एएलएस के संदर्भ भाग क में दिए गए हैं।



2.3 ऐसे अन्य सभी परिवर्तनों, जो न्यून परिवर्तन नहीं हैं, का वर्गीकरण प्रमुख परिवर्तन के रूप में किया गया है।

### 3. एफएम तथा एलएस संशोधन

3.1 डीजीसीए द्वारा एफएम एवं एलएस पृष्ठों में सभी प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा की जाएगी।

3.2 ईएसए अनुमोदित एफएम एवं एलएस को प्रभावित करने वाले सभी एफएम एवं एलएस संशोधन को ईएसए के सम्मुख समीक्षा एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

3.3 ईएसए द्वारा ईएसए अनुमोदित एफएम एवं एलएस को प्रभावित करने वाले सभी एफएम एवं एलएस संशोधन को विनियम (ईयू) संख्या 748/2012 तथा लागू अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक पाए जाने पर ईएसए की आंतरिक कार्य प्रक्रियाओं के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा।

### 4. ईएसए के उत्तरदायित्व

4.1 विनियम (ईयू) संख्या 748/2012 के अनुबंध 1 के प्वाइंट 21.ए.101 के अनुसरण में ईएसए द्वारा किसी परिवर्तन के अनुमोदन के लिए आवश्यक समझे जाने पर टाइपप्रमाणन आधार के- अलावा अतिरिक्त मानकों को निर्धारित किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में, यह डीजीसी और इन अतिरिक्त मानकों के टाइप प्रमाणपत्र धारक को लिखित रूप में सूचित करेगा।

4.2 सभी डिजाइन परिवर्तन या मरम्मत डिजाइन इस भाग ख के अनुच्छेद 5 के अनुसार समीक्षा और अनुमोदन के लिए ईएसए को प्रस्तुत किए जाएंगे। ईएसए उन विषयों की यथाशीघ्र पहचान करेगा जिन्हें यह सीधे अनुपालन निष्कर्षों की प्रस्तुति में शामिल करना चाहता है और इसकी सूचना डीजीसीए को देगा।

4.3 ईएसए विनियम (ईयू) संख्या 748/2012 और ईएसए आंतरिक कार्य प्रक्रियाओं के अनुसार सभी डिजाइन परिवर्तनों या मरम्मत डिजाइनों को मंजूरी प्रदान करेगा।

### 5. डीजीसीए के उत्तरदायित्व

5.1 डीजीसीए यह सुनिश्चित करेगा कि ईएसए के लिए आवेदन ऑन लाइन आवेदक पोर्टल के माध्यम से आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए सही प्रारूप में किया गया है। ईएसए के लिए आवेदन विनियम (ईयू) 748/2012, खंड क, उपभाग डी (मरम्मत डिजाइनों के लिए) अथवा उपभाग एम (डिजाइन परिवर्तनों के लिए) के अनुबंध (21 भाग) के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा आवेदन डीजीसीए के समर्थन के साथ ईएसए को, यह पुष्टि करते हुए प्रस्तुत किया जाएगा कि परिवर्तन या मरम्मत पहले ही डीजीसीए द्वारा प्रमाणित कर दी गई है - अथवा यह कि डीजीसीए के सम्मुख उस परिवर्तन या मरम्मत के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन किया गया है और उसे स्वीकार किया गया है।

5.2 डीजीसीए द्वारा सत्यापित करके ईएसए को यह सूचित किया जाएगा कि ईएसए प्रमाणीकरण आधार और पर्यावरण संरक्षण आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रस्तुति की गई है। ओएसडी प्रमाणीकरण आधार के अनुपालन के संबंध में, डीजीसीए द्वारा कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी।



5.3 इसके अलावा, डीजीसीए द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों और ईएएसए प्रमाणन आधार और उत्पाद के संबंध में ईएएसए- अनुमोदित टाइप डिजाइन के अनुपालन की समीक्षा की जाएगी:

क) निरंतर उड़नयोग्यता अनुदेश उड़नयोग्यता सीमा खंड - भाग क का अनुच्छेद (देखें 7.3, और  
ख) संरचनात्मक मरम्मत मैनुअल और प्रमुख मरम्मत।

5.4 मरम्मत के वर्गीकरण को 'न्यून मरम्मत' या 'प्रमुख मरम्मत' के रूप में विनियमन (ईयू) संख्या 748/2012, प्वाइंट 21.क.435 और जीएम 21.क.435 के अनुबंध I (21 भाग) के अनुसार निष्पादित किया जाता है। आवेदक की मरम्मत डिजाइन का प्रस्तावित वर्गीकरण डीजीसीए के माध्यम से ईएएसए को सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। डीजीसीए के अनुमोदन के पश्चात, मरम्मत डिजाइन इस भाग ख के अनुच्छेद 4 के अनुसार ईएएसए के सम्मुख समीक्षा और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

## **भाग ग - उड़नयोग्यता की निरंतरता**

### **1. सेवायोज्यता के दौरान घटनाएं**

1.1 यह निर्धारण किया गया है कि टाइप प्रमाणन धारक ईएएसए और डीजीसीए को अपने उत्पाद के संबंध में उन सभी विफलताओं, खराबियों, दोषों अथवा अन्य घटनाएं रिपोर्ट की जाएगी जो उन्हें ज्ञात हैं तथा जिनके परिणामस्वरूप लागू नियमों के अनुसार असुरक्षित स्थिति उत्पन्न हुई है अथवा हो सकती थी।<sup>8</sup>

1.2 यह निर्धारण भी किया गया है कि टाइप प्रमाणन धारक द्वारा रिपोर्ट की गई घटनाओं की जांच की जाएगी और लागू नियमों के अनुसार डीजीसीए और ईएएसए को सुधारात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।<sup>9</sup>

### **2. नागर विमानन महानिदेशालय, भारत के उत्तरदायित्व**

2.1 नागर विमानन महानिदेशालय यह सुनिश्चित करेगा कि टाइप प्रमाणन धारक के पास रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, विश्लेषण और घटनाओं के पालन के लिए एक उपयुक्त और प्रभावी प्रणाली है।

2.2 विफलताओं, खराबी, दोषों या अन्य घटनाओं से संबंधित टाइप प्रमाणन धारकों की रिपोर्ट की समीक्षा के परिणाम स्वरूप अथवा किसी उत्पाद को असुरक्षित स्थिति में ला सकने वाले परिणामों - और लागू नियमों के अंतर्गत अनुभव विश्लेषण के आधार पर - डीजीसीए द्वारा यह निर्धारण किया जाएगा कि क्या डीजीसीए को उड़नयोग्यता निदेश जारी किए जाने चाहिए अथवा नहीं जारी किए जाने चाहिए।

2.3 डीजीसीए द्वारा ईएएसए टाइप प्रमाणन के अंतर्गत शामिल किए गए उत्पादों से संबंधित उड़नयोग्यता निर्देशों की प्रस्तुति ईएएसए को समय पर की जाएगी।

2.4 ईएएसए के अनुरोध पर, डीजीसीए द्वारा किसी भी आवश्यक अतिरिक्त जानकारी और / या स्पष्टीकरण की प्रस्तुति की जाएगी। आवश्यकता होने पर डीजीसीए एवं ईएएसए के बीच नियमित अंतराल पर उड़नयोग्यता सूचनाओं से संबंधित बैठकों का आयोजन किया जाएगा।

---

8. विनियम (ईयू) संख्या 748/2020, अनुबंध I (भाग 21), प्वाइंट 21.ए.3ए तथा जीएम 21.ए.3ख(ख)। आंतरिक घटना रिपोर्ट व्यवस्था (आईओआरएस) के स्वरूप एवं विधि की स्थापना एजेंसी द्वारा की जानी है।

9. विनियम (ईयू) संख्या 748/2020, अनुबंध I (भाग 21), प्वाइंट 21.ए.3ए (ग)

### 3. **ईएसए के उत्तरदायित्व**

3.1 ईएसए द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय के साथ डीजीसीए द्वारा जारी प्रासंगिक उड़नयोग्यता निदेशों के संबंध में परामर्श किया जाएगा और अमूमन डीजीसीए द्वारा जारी उड़नयोग्यता निदेशों को अपनाया जाएगा।

3.2 ईएसए द्वारा धारा सी के पैरा 1.1 के अंतर्गत टाइप प्रमाणन धारक द्वारा रिपोर्ट की गई विफलताओं, खराबी और दोषों या अन्य घटनाओं पर डीजीसीए के साथ परामर्श करके ईएसए के उड़नयोग्यता निदेश जारी किए जाने के संबंध में निर्धारण किया जाएगा।

### 4. **ईएसए, डीजीसीए, भारत तथा टाइप प्रमाणन धारक के मध्य सहकार्यता**

ईएसए, डीजीसीए या टाइप प्रमाणन धारक द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर ईएसए, डीजीसीए और टाइप प्रमाणन धारकों के मध्य एक बैठक आयोजित करके सेवा संबंधी कठिनाइयों, घटनाओं और दुर्घटनाओं की समीक्षा की जाएगी और उचित कार्यों पर सहमति बनाई जाएगी।

---

**परिशिष्ट क**  
**उत्पादों की सूची**  
**(अंक 1)**

टाइप प्रमाणन धारक	उत्पाद	डीजीसीए टाइप प्रमाणन जारी	डीजीसीए टाइप प्रमाणन अनुमोदन तिथि
हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)	ध्रुव (एएलएच) रोटारक्राफ्ट	सं. 5-8/96-आरडी-टीसी-1 टीसीडीएस सं. 5-8/96-आरडी, अंक 5 अथवा बाद का संशोधन	31 अक्टूबर, 2003